वह तो ग्राप देखते ही हैं। ग्राप हाऊसिंग मिनिस्टर हैं। साऊथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू में जो प्रदूषण होता है उसको ग्राप कहां तक रोक रहे हैं, इसकी भी ग्राप जांच करायें। डे इन एंड डे ग्राऊट करफान ग्रीर इनएफिणियंसी है। यह तो ग्रहर की बात है। देहात का जहां तक सवाल है, देहात में पीने को स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (डा रफीक जकरीया) : यह तो एयर पोल्युशन का सवाल है ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं यह कहता हूं कि करल एरियाज में प्रदूषण न हो इसके लिए श्राप क्या कर रहे हैं ?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, except thanking the hon. Member, I have nothing to say. I have already replied. The new point about atomic pollution I have noted down.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Sir, Mr. Pant made a few pointed suggestions and he wanted the hon. Minister to react to them. The first point was whether the Central Board which will be constituted under this Bill will be an independent Board, independent of the Water Pollution Board; and secondly, whether the Chairman of this Board will be a full-time Chairman or a part-time Chairman. I hope the hon. Minister will react, to it. He has not replied to these two specific points.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, I said I have noted their suggestions and the Government will be benefited by the suggestions made by the hon. Members who participated in the debate.

1810 RS—9

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Mr. Nanda, the provisions of the Bill are there before you. The suggestions which Mr. Pant made are, I think, very valuable suggestions and the Minister will certainly take them into consideration when the Bill is implemented.

Now, the question is:

"That the Bill, a<sub>3</sub> amended, be passed."

The motion was adopted.

# THE SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PAR-LIAMENT (AMENDMENT) BILL. 1980

THE VICE-CHAIRMAN / (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now, we go to the next Bill, the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill. 1980. Mr. Bhishma Narain Singh.

संसदीय कार्य तथा निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मान्यवर, इस विधेयक को मैं हिन्दी में प्रस्तावित करना चाहुंगा । हमारे कई सम्मानित सदस्य राजभाषा समिति के सदस्य हैं, मैं भी राजभाषा समिति का सदस्य हूं । उन्होंने कहा कि इस तरह के जो विधेयक वगैरह ग्राप प्रस्तावित करने हैं, उनको हिन्दी में प्रस्तावित करने की चेष्टा करे । तो जरुर मैं उनके सुझाव के श्रनुसार ग्रापसे श्रनुमति चाहूंगा कि हिन्दी में ही इस बिल को प्रस्तावित करें ।

उपसभाव्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : खुणी से लेकिन ऐसी हिन्दी बोलिये जो सब की समझ में आ जाए ।

कि:

"संसद सदस्य वेतन, भत्ता ग्रीर पेंशन ग्रिधिनियम, 1954का ग्रीर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

उपसभाध्यक्ष महोदय, अधिनियम की धारा 8क के ग्रधीन कोई भतपूर्व संसद सदस्य पेंशन पाने का उस समय तक हकदार नहीं जब तक कि उसका सदस्य के रूप में कार्यकाल कम से कम पांच वर्ष का न हो । पहली तीन लोक सभाओं की प्रत्येक की वास्तविक ग्रवधि पांच वर्ष से कुछ कम थी । ग्रतः कुछ भूतपूर्व सदस्य इनमें से हैं वे लोक सभा की पूरी अवधि के कार्यकाल तक सदस्य रहने के बावजुद भी पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं । अतः यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि कोई व्यक्ति जिसका संसद सदस्य के रूप में कार्यकाल पांच वर्ष की ग्रवधि से ग्रधिकाधिक 60 दिन कम पडता हो उसे भी 300 रुपये प्रति मास की पेंशन दे दी जाए । श्रीमन, इससे होने वाले अतिरिक्त व्यय का सही सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि इस संकोधन के पश्चात पात्र वनने वाले भृतपूर्व संसद सदस्यों को संख्या हमारे पास नहीं है । क्योंकि यह विधेयक बहुत ही सामान्य ग्रीर ग्रविवादास्पद है, मझे आशा है कि सदन के सभी पक्षों से इसे समर्थन मिलेगा । यह अधिक चर्चा के विना हो पास हो जायेगा । इन गब्दों के साथ मैं विधेयक को सदन द्वारा विचार के लिए पेश करता हं।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : मोशन मृब्ड यानी इसका अर्थ यह है कि प्रस्ताव रखा गया । ठीक कहा मैंने डा. भाई महावीर जी । डा० **भाई महाबीर** (मध्य प्रदेश) : ठीक कहा ग्रापने ।

260

THE VICE CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I wanted to take the precaution.

गया। तो मैंने इसलिए कहा कि आप तो हिन्दी के बहुत बड़े विद्वान हैं।

The question was proposed,

SHRI V. B. RAJU (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, this is an amending Bill to the 1954 Act which refers to the concessions or privileges or facilities granted to the Members. Now this amendment is for those who are no longer Members, that is, those who have ceased to be Members. But has the Minister considered what the fate is of the sitting Members?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: I wish them well.

SHRI V. B. RAJU: After ell, life is continuous. In fact, a nation's image is built up on how it looks after the representatives of the people in Parliament and the primary school teachers. That is how things are viewed. Is the Government really interested in keeping the life-style of Members who are stationed in Delhi, in seeing that they maintain certain standards, at the same time creating certain facilities which will make the Members involve themselves in the business of Parliament? Why should there be this sort of an ad hoc approach? This is called a 60-day B>'11. Why is this amendment brought here? Some Members have been deprived of the facility because they were short of sixty days because of a contingency. Tomorrow supposing the House will be dissolved only after one year, are you going to bring another amendment? As you know, Indian Parliament, particularly Lok Sabha, the other House, is not assured of a permanent tenure; When you

prepare a legislation, when you bring an amendment, it must be well considered in all its aspects, future, past, everything. What is the fun of bringing an amendment for every small contingency wasting so much precious time of Parliament? In fact, Parliament has manufacturing house of become а legislation and legislations become verv complicated because bills are not well considered. At one stage it was agreed that we should have a committee system in Parliament where theft things will be thoroughly considered. But that was sabotaged by some Ministers that at itime-I know that-because they felt that their independent power will be eroded. Luckily the Kerala Assembly is experimenting on it. They have sent us a document a<sup>1r</sup>o on this. The Parliamentary Affairs Minister is a very well-meaning Minister. H<sub>e</sub> is a young man. I am sure he will consider the matter seriously, because he may have to be in Parliament much longer than some of us, because we are old and we will go back soon. Therefore, this piece of legislation must have been thoroughly considered.

Pension of

Salary, Allowances and I 25 FEB. 1981

Let me say a few words about the state of affairs of the existing Members, the sitting Members. When was this amount of Rs. 500 determined, Mr. Minister? In 1954. What has been the price inflation since then? Even between February 1978 and January 19R' it has sone up by 40 per cent. It should be considered that a Member has to maintain two establishments. Probably Patna may be very near to you. But a Member coming from Kerala, from Madras, from Trivandrum, has to undergo a lon<r and tedious journey, under great strain. But apart from that, some Members have to maintain three establishments: at the village—if he is coming from a rural area—, at the State headquarters and then at Delhi. . Do you %ink a Member can honestly get on with your Rs. 500 salary?

**CHENGALRAYA** SHRT N. P NAIDU (Andhra Pradesh). Rajugaru,

you mean three establishments or three families?

VICE-CHAIRMAN THE (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI) in the Cliair]

SHRI V. B. RAJU: It is/ only preserved for reserved Members and not for all and they cannot afford. If they can afford, I do not know how it will look like

Now. Sir. the Members are given only five hundred rupees as secretarial allowance. What does it mean? What do you mean by that? Can we have a stenographer for five hundred rupees in Delhi today? Is it possible? Can we have an assistant with this money? Now, this sort of pittance, this sort of charity, you must forget about. I know everybody would like this, but nobody would like to say so. They would like to have it and no one would say anything about it. This is hypocrisy, as I call it. Very recently ...

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Raju, it is a part of our national

SHRI V. B. RAJU: Hypocrisy is a fine art in this country. You see the House of Commons Members and how they have been treated very recently. Mr. Minister, I would request you to go into it and revise the scale of allowances. You take a realistic view and don't be ashamed of it. We are not given any luxuries. But, actually, we are given only the n":inimum standard of living. Mr. Minister, if you have to invite us to a dinner, we have to think twice before accepting it. because cannot afford to Day for the tax; tc and fro. I myself avoid goinr; to social functions and dinners only because <of the travel difficulty. When my case is so, a person who has been here for more than a decade, what about the

Pension of fShri V. B. Raju]

new Members who have come? 1 think the legislative assemblies have been much wiser than we are here. Take the case of Karnataka from where Mr. Shankaranand comes. Seven hundred rupees is the salary and Rs. 51 is the actual daily sitting fee. Then, a sum of three hundred rupees is given for other things. In Andhra Pradesh, they give houses free of rent. They give for a member and his spouse passes in the State transport to go round the State.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Karnataka): In 'Karnataka, houses are given free of rent.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHIV SHANKAR): Ministers get Income-Tax also.

SHRI V. B. RAJU: So, do you want ug to beg you? You are also suffering and I know your ministerial salary is very meagre. Therefore, I am putting forth this point out of reason and not as a matter of criticism. I hope I am speaking for all the Members even though I do not have that much of a representative capacity. But these are the feelings which I am expressing now and we don't need much of debate on this point. Everybody must be looked after well. I mean to say, quite comfortably here. Sir, in the Indian situation, when a politician gets out of the legislative office or whatever office he holds, he has no other profession to fall back on. But it is not so in the Western countries. The moment he goes out, there is a place available to him. And, Sir, the Indian public workers are not experts who come to the Houses here. So, you must make them feel comfortable and contended in the sense that they are able to give more importance and more time to the business of the Houses.

**SHRI** NARASINGHA **PRASAD** NANDA-. To make them more functional.

SHRi V. B. RAJU: We are not to be worried about our economic constraints and our economic miseries. Take the elections of the Lok Sabha.. The Rajya Sabha elections may not be so costly. How costly they have become now! You are punishing those who cease to be Members on the dissolution of the lower House.,I take the Lok. Sabha Members as tenants-at-will. The landlords can chuck the tenants out at any time, at will. If not now, at least it was so in the past. But a Member of the Lok Sabha can be chucked out in two ways: One, by the electorate he may be thrown out and, number two he may be thrown out on the dissolution. Of the house by the President You don't pay these who have not been there for full^nve years. As a matter of fact, a Member who has been there for the shortest duration must be paid more. You go into the logic of this. If is not for his mistake that he is actually going out. It is only because the House is dissolved. So, in reality, a Member who has been there for only one year is in an aweful position, or a person who has been there for two years is in an aweful position. Do not measure like a tailor. Why do you do so? When once he is a Member, whether it is five years or ten years, he must get a pension of a thousand rupees. You should look to the dignity of the representatives of the people. They are the representatives of the people and they are not civil servants, they are not permanent civil servants. Therefore, I would request you earnestly to take the advice of the wiser Members of both the Houses, to consult them to have a committee on this and go thorough'y into the working of Parliament and also into the contribution made by the Members \*and also to find out why they are not able to make contribution. In fact, they should study more. There

should be study classes conducted by senior Members. All these are not present here. In fact, Members of Parliament should travel more. They should tour the country first before they see the world outside. Tell me, how many Meir.-bers in this House have toured the whole of India? Even myself having been for ten years here, could not go all over India. I would not go to the Andamans. 1 hope to cover that place this year. You make it convenient. You are the custodian of the interests, o? the Members. Mr. Minister. We are looking to you. Raghuramaiah used to take a lot of interest. He always had time for Members. In some States, they give house-building advance of Rs. 45,000 to enable them to build houses. Some States give Us. 30,000 as advance for purchase of a car. I think they have shown more wisdom. If we seek these things, we fear the people may not take us to be Gandhians. We want to pretend we are Gandhians. We are not. Let xis not deceive ourselves. We are entirely different. Just now we have passed a legislation environment. Now take the social about environment. I know how a member has actually to look to his constituency, how to feed the people who come here, how to keep them happy and "how to see that their work is done. I need not repeat these things. I think the Minister has already appreciated what my feelings have been.

Now, coming to the 60 days, I did not move an amendment. Sixty •lays has no relevance. Forget it. I do not think that since something has happened earlier you should keep these 60 days. After some time "you delete these sixty days. Some Assemblies have fixed Rs. 50 every month for one year, for two years R's. 100 for three years Rs. 150 and so *on*. Now they have put a ceiling. J do not mind a ceiling even if it is a thousand! rupees. A political pensioner has to

be looked after well. It is our duty. Why do you want to bargain on these things. Mr. Vice-Chairman, Sir, I think you also share

Members of Parliament

(Amdt.) Bill. 1980

our feslings, I am sure (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I cannot express them here. (Interruptions).

SHRI V. B. KAJU: When you were here, you were fighting for the small-scale industry, fighting for agriculturists; you fight for many things.

DR. BHAI MARAVIR: When he is here he is A. G. Kulkarni. But in the Chair he is just like a machine which has no sentiments.

SHRI V. B. RAJU: You will also take the earliest opportunity to fight for the interests of Members of Parliament.

Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving vr?e this time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Ramanand Yadav. Ten minutes.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAJDU: I also want to ...

THE VICE-CHAIRMAN, .. (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): You tell the Minister, because here there is nothing.

श्री रामानन्द यादव (विहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपने अमेंडमेंट पर तो बोल्ंगा ही लेकिन खास कर के मैं राजृ साहव के सेंटीमेंट्स के साथ हूं । मैं ऐसा समझता हूं कि राजृ साहव ने जो अभी भाषण में सेंटीमेंट्स व्यक्त किये हैं हम सभी लोग उन के साथ हैं । उपाध्यक्ष जी संसद-सदस्य को जो सुविधाएं

[श्री रामानन्द यादव]

मिलती हैं उन की तरफ ग्राप ध्यान
देंगे तो ग्राप को ऐसा लगेगा कि ग्राज
के युग में जितनी तनख्ताहें मिलती हैं
उन का बड़ा हिस्सा कट कर उन सुविधाग्रों के किराये में चला जाता है।
घर को ले लीजिये। घर का किराया,
पानी का रेन्ट, फर्नीचर का किराया ग्रीर
ग्राल्टरेशन हो उस घर में, लेटरीन घोड़ा
टाइप की है ग्रीर मानव टाइप बनवायी जाय
तो उस का भी खर्ची हमीं लोगों पर
लगता है । (ब्यववान) इंगलिश टाइप
का जो है...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH ,KULKARNI): I cannot follow your horse type. I do not know whether it is parliamentary or unparliamentary.

श्री रामानन्द यादव : घोड़ा टाइप यानी इंगलिश टाइप । उसे स्रगर स्राप भारतीय टाइप या देशी टाइप का बनवाना चाहते हैं (ब्यवधान) सुनिये तो । स्रगर स्राप ने लिख कर दिया सी. पी. डब्ल्यू. डी. को कि बना दीजिये तो बनायेंगे तो लेकिन उस का खर्ची हम लोगों पर पड़ेगा । स्राप को यह जान कर ताज्जुब होगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): You are a farmer. You can go out.

श्री रामानन्व यादव: उपसभाध्यक्ष जी, यह तो मैंने श्राल्टरेशन के संबंध में सुनाया। विजली श्रीर पानी की रीडिंग के लिये हम लोगों के यहां कोई नहीं जाता, उनकी इच्छा जितनी हो हम लोगों पर बांध देते हैं। मैं एक बार बाहर गया था, मेरे घर के सारे पंखें बन्द हो गये थे, लेकिन गर्मी में भी उतना ही बिजली का चार्ज, जाड़े में भी उतना ही बिजली का चार्ज, जाड़े में भी उतना ही बिजली का चार्ज । जाड़े में पानी गर्म करने के लिये हम लोग बाथलर रखे हुये हैं। वह भी बन्द हो जाते हैं गर्भी में । जार्ड में पंखें नहीं चलते। कोई ऐसा शौकीन व्यक्ति हो सकता है, जो जाड़े में मच्छर भगाने के लिये पंखें चलाता हो । ऐसे लोग हैं तो उनका हो जाय तो हो जाय । लेकिन हम जैसे ग्रादिमयों के साथ, जो घर बन्द करके चले जाते हैं, पंखें बन्द हैं, ऐसी स्थिति है कि फिर भी बिजली का चार्ज उतना ही होता है जितना जाड़े ग्रीर गर्मी में ।

इतना ही नहीं फर्नीचर सबसे खराब हम लोगों को दिया जाता है—रिजक्टेड । कुर्सी का बाजू टूट गया, मैंने लिख कर दिया कि इस को बदल दो तो बदलने के लिए मेरे घर 97, साउथ एवेन्यू से उठा कर इनक्वायरी में ले जाने का भी खर्चा हम लोगों पर लगता है । (ड्व्**बधान**)

एक माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री रामानन्द धादव : ग्राप पढते नहीं हैं, ग्राप को मालम नहीं है, लगता है कैरिज का । उपसभाध्यक्ष जी, ग्रब मैं वागवानी पर बाता हं। बागवानी के लिये हमारा 15 रुपया महीना कटता है, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे। मेरे बहुत कहने सुनने पर मेरा माली बराबर रहता है, लेकिन उस माली को भाईर होता है कि जितनी उनकी काम करने की क्षमता है उस से विक काम करो । हम लोगों का किसी का गार्डन ठीक से मेन्टेन नहीं हो सकता । मैं खुद सब्जी लगाता हं । माली कहता है, बाबजी, श्राप फोन कर दो। मैंने पपीता लगाया है, गोभी लगाया है। मैं खद सब्जी लगाता हूं। वह कहता है कि जितनी जमीन उसके लिए है उसी में लगाइये, सहन की जमीन में आप नहीं कर सकते। लिमिटेड जगह है जहां हम बागवानी करते हैं, फाजिल जगह में नहीं कर सकते। हम को 15 रुपये देना पड़ता है पर महीना और काम दो रुपए का भी नहीं होता । उपसभाध्यक्ष जी, इस तरह से हम लोगों का शोषण होता है।

हम तो ट्रेड युनियन वना नहीं सकते। ग्रगर इन तकलीफों के संबंध में हम कुछ कहें तो ऐसा समझा जायगा कि यह लोग तो इतने स्वार्थी हो गए हैं। राज जी ने ठीक ही कहा कि हम लोग पोज करते हैं कि हम गांधियन हैं, लेकिन उसके बाद ही हैज स्टार्टेड टेलिंग दीज थिंग्ज । तो हम सब लोग फील करते हैं कि ग्राज के युग में जब इतनी मंहगाई हो गई है तो इस के संबंध में सरकार को सोचना चाहिए । एउ हाक बिल जो लाया जाता है उसको न ला कर मैं चाहता हं कि एक कांब्रेहेंसिव बिल लावा जाय जिससे कि सब मेम्बर संतुष्ट हो जायें। ग्राप कहते हैं कि हम करप्णन कर रहे हैं, हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं । लेकिन अगर कोई हमारा गैस्ट आ जाय तो क्या करें ? क्या उस से कहें कि आ रहे हो तो उधर से कुछ लेते ग्राना । पटना से ग्रा रहे हो तो चावल लेते ग्राना । क्या ग्राप चाहते हैं कि हम लोग यही करें। क्या ग्राप नाहते हैं कि हम दूसरों पर ग्राश्रित रहें ? ग्राप इतना पैसा हम लोगों को दीजिए कि हम एक सम्मानित जीवन विता सके । राज साहब ने कहा कि हम लोग कितनी ही पार्टियां छोड़ देते हैं। मैं भी दो तीन शादियों का निमंत्रण पाया, उन में नहीं गया। हिसाब जोड़ा कि टैक्सी वाला तो काफी लेगा, कम से कम सात रुपया लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगा । मैंने उस सन्य स्कटर की खोज करवाई, लेकिन ग्राप जानते हैं कि सात बजे के बाद तो साउथ एवन्य में स्कटर मिलता नहीं। उसके न मिनने पर मैंने विचार किया कि नहीं जाऊंगा । दूसरे दिन वे मेरे मित्र मिले । कहा कि तम आये नहीं । मैंने कहा कि छोडो भाई, नहीं या पाया । बीमार पड गया था । तो आप हम से झठ भी बलबाते हैं । इसलिए अन्छा है कि आप ऐसी व्यवस्था की जिए कि जिससे हम एक सम्मानित जीवन विता सकें और अपनी आत्मा को बचा सकें ग्रीर करणान न करें। ग्राप सून कर

ताज्जुव करेंगे कि मैंने टेंट लगाया इस किसान रैली के मौके पर और 700 रुपये उस टेंट का बिल आया हुआ है दो दिन के लिए । आप सोचिए कि मैं उसे कहां से दूं। या तो वह मेरी सैलरी से कटेगा सात सौ रुपया...

श्री मनु भाई पटेल (गुजरात) : पार्टी को भेज दीजिए (व्यवधान)

श्री रामानन्द यादव : डोंट डिस्टवं । बनेंगे गांधीवादी और जब सैलरी बढ जायगी तो लेने लगेंगे । उपसभाध्यक्ष जी, तो मैं कह रहा था कि वह सात सौ रुपए का बिल मैं कहां से दुंगा । मेरे गैस्ट उस दौरान भ्राए ग्रीर मैंने उनको खिचडी खिलाई। दाल भात नहीं दे सका । खिचडी बनायी इस लिए कि मेरी एकोनामिक हालत ऐसी थी कि मैं उनको पूरी नहीं दे सकता था। डालडा 16, 17 रुपए किलो से लेकर पूरी ग्रौर तरकारी नहीं खिला सकता था। इसलिए मैंने चावल लिया और हिसाब लगा कर देखा कि खिचडी देता हं तो काम चल जायगा और इसलिए उस में दाल और सब्जी डाल दी। ग्रीर उसे सब खालेंगे ग्रीर मझे वही अपने गैस्ट को खिलानी पड़ी दो-चार दिन तक ।

एक माननीय सदस्य : वडे गरीव हैं ।

श्री रामानन्द यादव : कोई ऐसा दिन नहीं जाता श्रीर कोई ऐसा एम पी नहीं होगा कि जिसके यहां गैस्ट्स न श्राते हों। चाहे वह दक्षिण भारत का हो या कामरूप का हो या काश्मीर का हो या इस साइड का हो, ऐसा नहीं होगा उसके कि यहां दो चार गेस्ट्स न रहते हों। मैं तो खिलाता नहीं हूं। मैंने निण्चय कर लिया है श्रीर साफ कह दिया है कि मैं तो चाय नहीं पीता श्रीर मैं खिला नहीं सकता। मेरी इतनी हैसियत

#### [ श्री रामानन्द यादव ]

नहीं है और मैं अपने घर का इतना मालदार अप्रादमी भी नहीं हं। तो लोग जब मेरे यहां आते हैं तो एक बरी भावना लेकर ही जाते हैं। मझे खुद बुरा लगता है कि मैं खा रहा हं ग्रीर मेरा गैस्ट बैश हुन्ना है । तो मैंने सोचा कि अच्छा यह हो कि मैं अपने निवास स्थान 97, साउय ऐबेन्यू पर क्यों न लिख दं कि ग्रावास मेरा, भोजन तुम्हारा। मैंने यह सोचा है ताकि मेरे यहां आते ही सब जान जायें ग्रीर सून लें कि ग्रावास मेरा, भोजन तम्हारा, केन्टीन तुम्हारी, वहां कैन्टीन 16 या 20 नम्बर में है, तो भोजन मेरे साथ तुम्हारा नहीं, मेरा तुम्हारे साथ कभी कभी होगा । तुम हमारे साथ भोजन कभी नहीं कर सकते , लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी कभी भोजन कर सकता हं। तो स्नाप सोच लें कि यह मनोवत्ति स्नाज हर एक की हो रही है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं ग्राप से कहता हं, ग्राप के द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हं कि हमारे मंत्री जी विधायक रह चके हैं श्रीर बर्डे सूयोग्य व्यक्ति हैं। इस को कोई उन को देखकर ही जान सकता है। उनके यहां जो भीड लगी थी इस बार ग्रीर वह तो बराबर लगी रहती है तो म्राखिर हम लोग कहां जायेंगे। सार्वजनिक जीवन में आप लोग भी रहते हैं और हम लोग भी रहते हैं। किसी पोलिटिकल पार्टी के एम पी हो, उनके घर पर तो लोग धाते ही रहते हैं। मानवता का संबंध तो ग्राखिर जडा है? रहेगा । जब पोलिटिकल पार्टी का जलसा होता है तो हम लोगों की परेशानी बढ़ती है। इसीलिए हम मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि एक कांप्रिहेंसिव बिल लायें और समय के मुताबिक लायें ताकि हमको सम्मानित जीवन विताने का आधार मिल सके।

उपसभाध्यक्ष जी, फ्रीडम फाइटसं, स्वतंत्रता सैनानियों में बहुत से एम० पी० लोग भी हैं, बहुत से मर गये, अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। लेकिन थोड़े से लोग

हैं शायद इस हाउं में भी तीन चार ब्रादमी होंगे-केसरी जी हैं, मैं हं ब्रौर उधर भी कुछ लोग होंगे,जिसका मुझे पूरी तरह मालुम नहीं है, लेकिन फ़ीडम फाइटस बहत से एम० पी० भें हैं। इंदिरा जी ने यह वहत अच्छा किया कि फीडम फाइटर्स को पेंशन दी लेकिन उनकी हालत खराब हो गई है तो तीन सौ रुपया उनके लिये एक बड़ा सहारा हो गया । लेकिन अगर कोई एम > पी० हो जाय तो जो अमेंडमेंट हुआ है इसके प्रावधानों के कारण एम० पी० तो फीडम फाइटर की पेंशन ले सकते हैं. स्टेट से भी ले सकते हैं ग्रीर सेंटर से भी ले सकते हैं लेकिन जिस दिन हम एम० पी० नहीं रहेंगे तो यह बिल ऐसा है कि इसके मताबिक हम फीडम फाइटर की पेंशन नहीं ले सकेंगे। न स्टेट का लेंगे ग्रीर न केन्द्र का लेंगे। तो हमने इसमें सुझाव दिया है कि क्यों आप इस पेंशन को रोकते हैं। यह तो एक रिवार्ड है। वह देश की सर्विस के लिये दिया गया है। तो ग्रनोमली को भी हटाइए । फीडम फाइटर्स के लिए कांग्रेस की सरकार ने इतना किया तो यह भी कर दीजिये। इसके संबंध में ग्राप चिन्तन करके इस ग्रनोमली को हटाकर बिल लायें तो अच्छा रहेगा । थ्रगर मंत्री जी इस सुझाव को मान लें तो वड़ा ग्रन्छा होगा।

उन्तमाञ्यक्ष जी, सरकारी कर्नचारी मर जाता है तो उ की वाइफ को पेंशन मिलती है और चीजें भी मिलती हैं, उसके बच्चे को पढ़ने कामीका भिलता है। लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता। हम लोग विस्त परिस्थिति में यहां काम करते हैं यह आप से छिनी बाद नहीं है। ऐसी हालत में मैं सरकार से चाहूना कि वह एक कांप्रिहेंकिन बिन लाये।

उपसमाध्यक्ष जो, एक सुझाव भ्रोर देना चाहता था। एयर सिंबत की हमको सुविधा मिलती है। जब पालियामेंट सेगन में हो तो हम लोग इसको यूटि-लाइज बारते हैं। मैं सरकार से कहुंगा

(Amdt,) Bill, 1980

कि इसी तरह से केशन के बाहर भी यह सुविधा दी जानी चाहिए ताकि हम लोग दूसरी जनहीं पर जाकर हालात को देख सकें।

जो ग्राने मुझे समय दिया लिए धन्यवःद ।

SHRI MANUBHAI PATEL; Sir, I wa expecting that the hon. Minister for Parliamentary Affairs who is .so tactful and courageous, would not come with such a half-hearted measure in the form of this Bill which lacks courage and also the experience which he was sharing with us because he also comes from the rank and file, from workers' group; he also is experiencing the same difficulties as other Members. Mr. RajU has rightly said that it becomes embarrassing for Members to ask for certain amenities as if it is for themselves. amenities which are being requested for, are not for themselves personally but in performing their duties as Parliamentarians, members the forum here. highest national Tha difficulties which they experience and face, I think, should be the concern of the whole nation. But because it is for both the Houses tha legislation, it has come pass <sup>tn</sup>is House. before So, it is for the institution, not individually for A, B! or C. So, I expected that the Minister would come with a comprehensive Bill. This is a very limited amend-4 P.M. ing Bill. This only pertains to the first three Lok Sabhas. the First, Second Third and This is Sabha;. а discrimination: because these three Lok Sabhas were short by sixty days, you are granting this concession and you are not granting the same concession in regard to the Fourth Lok Sabha, which enjoyed a. tenure of four years and which was dissolved by none of the fault of the Members, .but at the sweet will of the Government. What was their fault? "Why have you excluded the Fourth Lok Sabha from this? What will hap.

pen to the Fifth Lok Sabha and so on? This sort of discrimination bat-ween a Membar and a Member, I think, i<sub>s</sub> not a 8°°d step. Once a Membs<sub>r</sub> is elected and he takes oath, there shou'cl be no discrimination between a Member and a Member. Suppose, a Member takes oath here, in the Rajya Sabha. He is a new Member. Suppose, ne die, within one day after taking oath. Because he has not spent five years, will this not apply to him? Government should have considered all these things. As far as the scope of this Bill is concerned, I would request the hon. Minister, who has sympathy with the Members because he is one among us, to consider this and ne shou'd see that there is no discrimination between the First, Second and Third Lok Sabhas and the Fourth and Fifth Lok Sabhas. There should be no discrimination between a Member and a Member whether he has take, oath and spent five year, or he has spent two days or nva days. He should consider this. It seems, the bureaucrats who have prepared this Bill ha.ve not applied their mind to thy human aspect. Members are human. They work hard. Hence, this huvnaii aspect should also be considered would not like to go into the details. Mr. Raju and Mr. Yadav have very ably pointed out these things.

Another discrepancy is in regard to pension. The hon. Member, Mr. Yadav, has suggested one thing. But there is one another discrepancy. When a Member is there and h<sub>e</sub> is a freedom fighter, drawing pension, which is now called Sanman pension, irrespective of his income, he can draw that pension and he can also draw the allowances and so on as a Member, when he is a Member. But when he ceases to be a Member and when he becomes a pensioner of Parliament, he wil] have to draw this pension minus the pension t<sub>0</sub>. which ne is entitled as a freedom fighter.

AN HON. MEMBER; Whatever he chooses.

SHRI MANUBHAl PATEL; I think, this should also be considered. There are other points which should also be considered and a comprehensive Bill should come before the House. Why should you put us into this embarrassing position, every time requesting us to grant this concession? Could you not have included the rail journeys and so on?

Now, Sir, a Member is allowed to travel with his wife o<sub>r</sub> spouse only once while a Session is on and she can go back from. Delhi to the constituency only at ihe end of the Session. In between, if she goes, the pass will be invalid A Member has to spend from his I<sub>s</sub> it ever possible for us, during the pocket. long Budget Session which goes on for three months, keeping the children at home? Is it ever possible for the wife to come at the beginning of the Session and stay with the husband till the end of the Session and not care for the children a.t home? She may have to go in between. What happens to that? you should have considered this. What happens to intermediate air journeys? You have allowed Members to make intermediate air journeys. But they ca.n use it only when the House is in Session. But in between Sessions, what happens? It lapses. Is it possible for a Member Lo utilise the intermediate air journey. spending three or four days outside Delhi, when the Session is on? He can spend only one day and the next day he has to come back. Otherwise, he cannot attend the Session. If he late, he will lose the daily comes allowance also. These are so many details which should be looked into and these are not excessive demands. I am not talking about other things. I krow; it i<sub>s</sub> the experience of most of the Members that when the salary bill comes, sometimes, we have to pay from our side. The total amount does not come. There are many 1 on account of telephone, water, deductions hous rent and so on and we are left with Rs. 5 or Rs. 10 at the end of the month. This is the position. So, if you are prepared to consider all these

things, it is well and good; otherwise, may I suggest; Take total care of th.e Members. Take total care of the Members, give them free house, free food, free clothes, free transport, give them everything, look after them fully and let them perform their duty. When a doctor o<sub>r</sub> a professional law. yer o<sub>r</sub> a person with some other profession enters either of the Houses, he loses his practice, he neglects his profession and the result is that he has to lose at both the ends. And those who are non-professionals, who are politicians, who are solely dependent on this, they are full-time members and they have no other livelihood. Taking all these things info consideration, I would request the hon. Minister to kindly come before this House again, during this session itself. 'This should not be dalaj'ed. Otherwise, everytime this becomes a subject of discussion in the public, and in the eyes of the public we are looked down, as if we are begging- for something. This is <sup>no</sup>t good for the representatives in the highest forum of the country.

I would, therefore, request you to kindly look into this and please come forward with a comprehensive Bill so that the real difficulties being faced by the Members are removed

हुक्सदेव न।रायण (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ श्रपनी श्रलग राय रखने वाला व्यक्ति हूं। में आदरणीय श्री रामानन्द यादव जी का भाषण सुन रहा था । मैं यह कहना चाहता हं कि मैं कोई ग्रतिबादी विचार-धारा का व्यक्ति नहीं हुं । श्रतिवादी की दो धाराएं होती हैं-एक जिल्लादी भोग और दूसरी अतिवादी योगः । मैं चाहता हूं कि हमें यति योग में भी पहीं चला जाना चाहिए और न ही हमें अति भोग में जाना चाहिए । मैं मध्यम मार्ग को मानने वाला व्यक्ति हं । यह गौतम बुद्ध की भूमि है । यहां पर सम्यक

श्री रामान द यादव : मैंने समय की चर्चा की है । हमें सनय के अनुसार चलना है।

श्री हुक्सदेव नारायण यादव : मैं यह कहना चाहता है कि जनता के प्रतिनिधि होने के कारण हमें ज्यादा पैसे नहीं लेने चाहिएं । लेकिन हमारे साथी यह कहेंगे कि ग्रगर ग्रापको ज्यादा पैक्षे मिलेंगे तो ग्राप लेलेंगे। मैं यह कहंगा कि समाज के अन्दर न तो अति भोग की धारा बहनी चाहिए और न ही ग्रति योग की धारा बहनी चाहिए । समाज में अगर क्रिति भोग की धारा होगो तो हम उससे बच नहीं सकते हैं श्रीर यह फिसलन की धारा बहती रहेगी । मैं समझता हूं कि सरकारी ग्रफसरों ग्रौर हमारे बीच में कोई तुलना नहीं होनी चाहिए । हमारे देश में जो लोग दूसरे क्षेत्रों में लगे हुए हैं उनके साथ हमारी तुलना नहीं की जा सकती है । हम जनता के सीधे प्रतिनिधि हैं । हम लोग यहां पर जनता के प्रतिनिधि और मालिक की हैसियत से काम करते हैं हम यहां पर देश के नौकर की हैसियत से बात नहीं करते हैं। मालिक और नौकर में कुछ अनार तो रहना ही चाहिए । हमें इस देश के श्रीर इस समाज के एक-एक पैसे के प्रति ग्रपनी जिम्मेदारी की समझना है । हम इस देश में जब यहां हिन्दस्तान की सर्वोच्च संस्था में बंठे हुए हैं तो हमारा ध्यान हिन्दस्तान में जो 60 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनकी तरफ भी जाना चाहिए । हेम लोगों को वही सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं जो बिरला और टाटा को मिलती हैं। हम लोग जब ग्रपनी स्विधायों के बारे में

(Amdt.) Bill, 1930 सोचें तो हमें इस देश के करोड़ों लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ।

Members of Parliament

दसरी बात में यह कहना चाहता हं कि मैं इस राय का भी हं कि हम अपने ऊपर उन काननों को लाग करें जिन काननों को हम दूसरे लोगों पर लागू करना चाहते हैं। मेरी राय तो यह है कि अगर कोई साधारण सादमी किसी ग्रपराध में पकड़ा जाता है तो उसको छः महीने की कैंद होती है, लेकिन अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी अपराध में पकडा जाये तो उसको छ: साल की कैंद होनी चाहिए क्योंकि हम यहां से गंगोजी की घारा बहाते हैं । यह धारा सारे देश में फैलती है । जनता के प्रतिनिधियों की इस धारा से हमारे देश की जनता प्रभावित होती है । इसलिए में यह मांग करता हं कि हमारे ऊपर उन कानुनों को लागू किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से ग्रगर कोई संसद सदस्य भ्रष्टा-चार करता है या संसद-सदस्य की हैसियत से ग्ररबों की धन-संपत्ति ग्रजित करता है तो उसको अधिक से अधिक दण्ड दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से साधारण काननों में दण्ड दिया जाता है उससे अधिक उसको दण्ड दिया जाना चाहिए । ग्राप जानते हैं कि हमारे अधिकार असी-मित हैं । दुनिया के अन्दर में, आज हिन्दस्तान के अन्दर जनतंत्र व्यवस्था के अन्दर में, प्रतिनिधि शासन के अन्दर में दो विचार हैं। एक ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं जिनके लिये ईश्वर असीम है । लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिये यह संस्था ग्रसीम है. स्वयं हमारी सीमायें ग्रसीम हैं, संसद का ग्रधिकार असीम है । ऊपर आकास है तो नीचे पाताल है । शून्य में जितने और जिन सवालों कों हम चाहें संसद में उठा सकते हैं । इसलिये हम असीम हैं । हमारे इतने बड़े अधिकार हैं, हम अपने को उनके साथ जोड़ने का काम करें।

अ: हक्मदेव नारायण याःवी

उपसभाध्यक्ष महोदय, में एक-दो बाद कहकर समाप्त करूंगा । मैं जानता हं कि जो एक मानस है मैं उसके विपरीत बहने दाला आदमी हं और इसीलिये मैंने यह प्रश्न उठाया है । में इसका विरोध करता हूं। मैं मांग करता हूं कि पैसे के स्थान पर इन संसद सदस्यों को काम करने की सुविधा ग्राप दोजिये । काम करने के लिये जितनी सुविधा दी जाय, दीजिये । उनको पोस्ट-काई दोजिये, टिकट दीजिये, लिकाके दोजिये, टेलोकोन की स्विधा दीजिये, उनके याता भत्ते की स्विधा बढा दीजिये । अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा इसते कोई तिरोध नहीं होगा । लेकिन पैसा ज्यादा बढाते चले जायें इससे मेरा विरोध रहेगा।

म्राखिरी बात उपलगाब्दक महोदद, कहकर में समापा करुंगा । भत्ते के संबंध में मैं यह चाहता हूं कि अनर भत्ता दे रहे हैं. संसद सदस्यों की ती इसके लिये एक बार जो संपद सदस्य हो जाय और अगर फिर वह संसद सदस्य न रहे, तो उनको पैसे के छमाव में इस तरह की जिन्दगी न जीनी पड़े जिसते कि भारपूर्व संसद सदस्यों का अपमान न हो, अगर आपका यह द्धि कोण है तो में धाप से पूछना चाहता ह कि अगर 5 साल से 60 दिन कन कोई संसद का सदस्य रहेगा तो उसको भा भारपर्व संसद सदस्य कहा जायेगा । जो 3 साल संसद सदस्य रहेगा, दो साल रहेगा, ढाई साल रहेगा, जैसे कि बाई इलेक्शन में चला घाता है और फिर वह दूसरी बार न था सके तो उसकी भी मृतपूर्व संसद सदस्य लिखा जायेना ग्रीर जो 10 साल तक संसद सदस्य रहेगा

हटने के बाद उसको भी भूतपूर्व संसर सदस्य कहा जायगा । इसलिये एक बार कुछ दिनों के लिये भी अगर कोई इस सार्वभौम संस्था का सदस्य हो जाता है ती उसको भी संसद सदस्य की वे सारी स्विधार्थे मिलनी चाहिएं जो अन्य सदस्यों को देने का आप प्रावधान बना रहे हैं चाहे वह एक दिन के लिये भी यहां ग्रा जाय ।

दूसरा निवेदन मेरा यह होगा कि संसद सदस्यों को जो भत्ता ग्राप देते हैं, निर्वाह भत्ता, हटने के वाद उनकी पेंगन में कोई विषमता नहीं रहनी चाहिए कि 5 साल वाले के लिये 300 रुपया, 6 साल वाले के लिये 350 रुपये ग्रीर इतने साल के लिये इतना । ग्राप संसद सदस्यों के लिये एक स्टेंडर्ड बना दीजिये 300 ह० 350 ह० या 500 हपया. जो तय करना है वह तय कर लीजिये ग्रीर चाहे उसकी ग्रवधि 5 साल हो या 15 साल हो उनको समान भत्ता मिलना चाहिए।

ग्राखिर में उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं क्छ सुझाव देना चाहंगा। हम सामाजिक श्रीर राजनैतिक कार्यकर्ता है। मैं चाहंगा. मेरे जैसा ग्रादमी चाहेगा, कि ग्रगर हम संसद सदस्य न रहें, विधान मंडलों के सदस्य न रहे तो कम से कम भन्ते के रूप में ग्राप कुछ मत दें परन्तु हमारे जैसे ्रामाजिक स्रोर राजनैतिक कार्यकर्ता को. द्वितीय श्रेणी का ही सही, हमारे लिये यावा के लिये पास ग्रगर दे दें तो उसे हम ज्यादा कव्ल करेंगे क्योंकि एक राजनैतिक श्रीर सामाजिक कार्यकर्ता की जिंदगी देनों ग्रीर वसों में गुजरा करती है, सार्वजनिक कामों में गुजरा करती है। हमें पैसों की

इतनी ज्यादा चिन्ता नहीं रहती है जितनी सफर की रहा करती है। इसलिए आप, द्वितीय श्रेणी का ही सही, हमें घूमने के लिये, यात्रा करने के लिये पास अगर दें तो नैं यह मानता हूं कि वह पैसे से ज्यादा कारगर होगा।

मैंने ग्रापके सामने कुछ सुझाव रखे हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार इस दृष्टि से इस पर विचार करे। मैं संसद सदस्यों की सुख-सुविधा समिति का, लोक सभा में जब मैं था, सदस्य था। मैंने ग्रपने विचार उस समिति के सामने रखे थे ब्रौर में चाहंगा कि सभी दलों के जो लोग है, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लोग ग्रीर निर्दलीय सदस्यों की ग्रलग से इस पर राय जानने के लिए एक कमेटी विठाई जाय जो कि सब की राय जानने के बाद, सब लोगों की राय लेने के बाद विस्तृत रुप से विचार करे। ग्राप ग्रगर इस तरह की समिति बनायेंगे तो वह सही और कारगर सिद्ध होगी और मैं समझता हं कि सरकार इस पर ग्रवश्य विचार बारेगी । धन्यवाद ।

SHRI R. RAMAKRISHNAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, I think there are a few people in the Government who get a peculiar pleasure in making pariiamei7ta2"ians like the poor boy in the 01ive<sub>r</sub> Twist always crying fir more.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIA. MENTARY AFFAIRS (SHRI SITA-RAM KESRI): I hope you will not take it.

SHRi R. RAMAKRISHNAN; The point, is, I  $a_m$  not speaking for myself. With the grace of God, I am in a fairly good position to perform my duties as  $^a$  parliamentarian with or without this allowance. But why this hypocrisy? About six or eight months

ago 425 Members of Parliament from both Houses of Parliament gave a petition to the hon. Prime Minister through the Minister of Parliamentary Affairs-. At that time, with due respect to Madam, she said that it was not the right time then as there are so many poor people. "We will see later". But when is that day goinf to come? Can any person—whether he is a Minister, or a Deputy Minister or a Member of Parliament-cross his heart and say that he is living on a thousand rupees? I will ask like Jesus Christ-I am not a Christian but I will ask like him-why this hypocrisy? On the other hand, if you want people to be more constructive in their commitment and dedication to Parliament, you fix strict attendance rules or make them more rigorous than they are. Now people can come and sign and sit in the Lobby and gossip) in the Central Hall and go away. Make attendance compulsory. Make their contribution more effective. Say that a person should attend at least one day in a week and not just sign one day and then come back after 15 days. You please do .ill these things and make their participation more effective. My friends in the press are there. With due respect to them, I may say that whenever there is a plea for a rise in the salaries of the MPs, the newspapers come out with all the facilities a.jd perquisites, half of them imaginary, which the MPs enjoy. You cut out the foreign tours. This is with due respect to all the Members. Let them not mistake me. I understand the Railway Convention Committee is going to Japan, the Far East and other places, to see the working of Railways there. The Hindi Committee had gone to see about the use of Hindi. All these things you can cut. But make secretarial assistance a vailable to them, say, for instance, a stenographer or a parliamentary assis. tant to take out the clippings and doing other things. You give them assistance in the form of stationary and postage. A US Senator enjoys many facilities. But that is a rich country. We cannot claim parity with them. But at least this much

## tension of [Shri R. Ramakrishnanl

assistance can be given to the MPs. The hon. Minister in informal chats with the leaders and whips of pa-ties said that he will try to make some adjustments, a<sub>s</sub> Mr. Manubhai Patel said, between the air fare and make provision for first class travel by the companion. If the Government feels that they should not be entitled to take any companion, let them say so and abolish it. But at present one person is put in first class <sup>an</sup>-d the other person is put in the second class. What is the point in that'? This can definitely be considered.

Only one more thing. There is a iot of feeling going around about the house facilities, telephone facilities and various other facilities like medical facilities and other things. These are not very big things. Can the Government bring out statistics as to how many Parliamentarians actually use these facilities in the proper manner. Let them he very strict about these and not say: Are Baba. yeh sab MPs ke waste hain; they require these things. See how far these are being misused. If there is any mis. use, that should be checked. If I am guilty of a misuse, I must be punished. But the genuine things you please consider and give them. That is my humble suggestion. I have been forthright. Please pardon me for that.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI ^ARVIND GAMESH KULKARNIV. Do you want to speak? There is no time. (Interruptions), I am here to listen to everybody. But the time allotted i<sub>s</sub> one hour and the Minister has to give the reply.

SHRI N. P. CHENGALRAYA <DU: Mr. Vice. Chairman, they have brought this amendment now. They should have brought it long ago Sir, when you call for the elections, the people elect you for a term of five years; they never elect you /or a period of one year or two years or three years, it is the President of India or the Government of India which is responsible for the dissolution of Parliament. So a Member is not at all responsible for it. So when

it is less than five years, they should treat this as a term and give them pension accordingly.

Now, Sir, I am glad the Minister has at least brought it now. But it fays here '-from now onwards" those Members who were there in the first three Parliament sessions will get it. But they were deprived of ft long ago. How many such people are living and how many have died? Why can't you give a retrospective effect for those who are still living? They are poor people. Why t you do it? There are very few such people, not in hundreds and thousands, because many people have died. I appeal to the hon. Minister to consider this. Do not say about it "from now onwards"; they should be given a retrospective effect. Ail those who suffered previously should be benefited. Sir, I appeal to him... he is not listening, Sir, what am I to do? I appeal to him, Sir, kindly to give it retrospective effect. There are not many such persons. Many persons have died. There only a few persons. Please give to them also the 'facilities and other things people elect them for one term, not for one year or two years. If the Government is the di'sohition, the for responsible at fault, and not the Government  $I_s$ electorate or the Members. So, I request that if you dissolve the House after three years or four years, the concerned Members should be e igible. Even the Fourth Lok Sabha Members must get this benefit, not only the First and the Second Lok Sabha Members.

Regarding the daily allowance and other facilities, I will tell only one word. Mr. Ramakri'shnan's point is correct. There are some people who are financial^ sound. There are some people who can live on even Rs. 10/per day. They need not draw Rs. 50/-Tliey can draw Rs. 10/- and they can surrender Rs. 40/to the Government There is no objection to that. There are some people who cannot cope up with Rs. 51/-. When I had a occasion to speak when the Bill raising the

daily allowance from Rs. 31/- to Rs. 51 was introduced in the Lok Sabha. At that time the communists opposed the Bill. But outside they said that they would only oppose it, but they wou'd draw it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): You have made your point.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: Those who oppose it, need not draw it. Those who want the daily allowance, they can draw it. About 440 people signed the petition for the amenities. Let the Minister consider it. Let them bring it before Parliament.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): That ia all right. Mr. Shawl pjease. The time is very short.

SHRI GULAM MOHI-UD-DIN SHAWL (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-President, Sir, as far as we, the Member<sub>s</sub> of Parliament, are concerned, it i<sub>s</sub> an embarrassing question to say anything about ou<sub>r</sub> salaries and allowances. I wou'd humbly submit that th<sub>e</sub> first thing we should shun is that embarrassment because if we are honest to the cause, if we are honest to the people, to the country, we should never feel ashamed of saying anything about ourselves, our difficulties and all that.

There are simmering discontent among the Members of Parliament since l'st year. When I contacted my hon, friends, they said that there was a petition and that they were looking into it and that they would see what the result would be. But later on we were told, indirectly of course, that the people would be thinking something, that they would be thinkin n that the MPs were so conscious of, were so anxious about, their own salaries and allowances and that they were not thinking of the people at large. That is not the position.

Sir, as tar as the .tress or oxner media in the country are concerned, they must fully know what difficulties we encounter day by day. As far as the Members of Parliament are concerned, of course, there are two categories-. There are some Members—we do not envy their lot—who are in better positions. But think of those Kembers whose only source of income was the practice at the bar. We had to give it up. Whatever the income, we-had to give it up. Even during the inter-session we cannot attend even a petty criminal case, much less a civil case in a High Court or the Supreme Court. But the question is, a<sub>s</sub> far as our dependents are concerned and as far as we ourselves are concerned, we talk of our necessities, we shall never talk oi the luxuries and we do not talk of the comforts even. But we are essentially concerned with necessities. And the bare necessities we not get. As far as his Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act i<sub>s</sub> concerned, there was an amendment in 1977. But there are so many loopholes in We laugh at time when we see what is going on here. It is in a lighter vein that I haj called the MSA section here not as the Amenities Sec^on but as the Enmity section, enmity towards us. If we go there and present a bill, there are 101 rules to deny u<sub>s</sub> all those thrngg for which we have spent. Mr. Yadav said that he had to put up a "shamiana". I think he could get for Rs. 700 on credit a "shamiana", but we cannot get even for Rs. 100 anything in the bazar. Such i's our condition. We shou'd not be afraid of saying anything because these are the dictates of our conscience. We are Members °f Parliament, members of the highest legislature in the country, but we suffer in so many respects. Regarding our TA/DA, Sir, you will kindly see that we are allowed to take our spouse in one journey. But when we go back or sometimes when we travel, we are not allowed to take our spouse. Why" should the allowed? As far as the spouse not be telephone is concerned, there are so many calls

[Shri Gulam Mohi-ud-din Shaw]

free. But We are tp pay our rent, we are to pay the water and power bills. And there hardly remains anything. I should say even the poorest labourer earn<sub>s</sub> more than what we get from this Salary and Allowances Act. Sir, as far as the present Bill i<sub>s</sub>. concerned, I would only submit that I am reminded of on<sub>e</sub> couplet of Iqbal.

A<sub>s</sub> far a<sub>s</sub> w<sub>e</sub> are concerned, we demand much more. As for this pension and sixty days and all that, leave this jugglery aside. Come boldly with a comprehensive Bill. I think every section will support it except the hon. Member there. I could not understand my friend there who spoke in chaste Hindi. I could not follow him. But one thing is clear. Tf any hon. Member thinks that he should not get that salary, he can surrender it, of course. But don't call it salary. My humble submission is, as a lawyer, I, used to call it honorarium. Call it honorarium and pay us in such a way that we are able to maintain our dignity. Travelling in First Class or ACC is not for our comfort. Yes, we associate ourselves with common men

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVINB GANESH KULKARNI): Piease conclude.

SHRI GULAM MOHI-UD-DIN SHAWL: So, as far  $a_s$  this Bill is concerned, I would support it, But I wou]^ request, humbly request, earnestly request the hon. Minister to bring a comprehensive Bill I should say, without any further delay, ao that we are able to meet our needs.

HE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Jha. Three minutes.

श्री शिव चम्द्र झा (विहार) : उप-रामाध्यक्ष महोदय जहां तक यह विधेयक ह . . . इस विधेयक कः विष्णि है . . .

(ब्यवधान) सात दिन जिसके कम हो उसको भी देने की बात कही गई है। इस संबंध में मैं कहंगा कि साठ दिन को छोड कर एक टर्म कर दिया जाए। बात उठाई गई है दो साल के वह टमं रहे। दो साल रहे, या तीन साल रहे, या चार साल रहेगा, तो फि: डिस्क्रिमिनेशन की बात या जाती है। लेकिन उससे भी बही बात यह है कि बहत सी बातें ग्रा गई है। मैं कहंगा कि इस विल को ग्राप पास न कीजिए। आप इसकोले जाइयें बौर सब बातों को नेताओं को बैठ करके. बातों के ऊपर विचार करके एक कम्प्री-हैन्सिव बिल लाइवे मेम्बर ग्राप पालिया-मैंट की सुविधा की बात जब उठाई जीती है, तो मैं कहना चाहंगा मंत्री जी की कि मझको सदन में काम करने के लिए उनसे ज्यादा सुविधा की जरुरत है। मंत्री जी को जिल्ही सुविधा की जरुरत है, मुझको एक्टिव होने के लिए ज्यादा सुविधा की अरुरत है। जिससे कि मेरा काम हैम्पई हो जाता है, एक जाता है, मविद्या न होने की बजह से । फोर्थ लोक सभा के समय में एक विभृति मिश्र कमेटी थी. जब कि 21 रु० भत्ते से वहा कर 51 ६० हमा था हेली मलाकंस । उसमें और बानों के बालावा एक बात थी कि एमं पीठ की अपने क्षेत्र में घमने के लिए डी० एग० साल में 60 दिव जीप दे, पेट्रोल के साथ यह अच्छी बात थी कि की एमर साथ में 60 दिन जीन दे लेकिन यह बात चला नहीं, मिश्र जी ने बात काट दी कि कोई क्षेत्र में धमेगा नहीं । उसके बाद यात बाई कि एक पी० ए० सेकेटरी हो क्योंकि एग० पी को दौड-धप करती पड़ती है, उसकी मदद मिले। मिल जी ने उसकी भी बाटा कि कोई पीं० ए० नहीं रखेगा। मब की बाइफ रातों-रात पी० ए० हो जाएगी ब्राखीर में 21 ह० से 51 हः दैनिक भना हुआ और रेलवे का सेकेण्ड क्लास भी हुआ। तो हम को ठीक रुप से काम करने के लिए सुविधा होनी चाहिए रिएितिस्टिक रूप में सुविधाएं नहीं होंगी तो काम करने वाले को परेशानी होगी। सुविधाएं नहीं होगी तो काम ठीक से नहीं हो सकता है। कुछ हमारे लोग भी आते हैं। में महसूस करता हूं कि एक एक्टिव मेम्बर को . . .

उपसमाध्यक्ष (श्री श्ररिबन्द गणेश कुलकर्गी): ठीक है, श्रापने कह दिया।

श्री शिव चन्द्र झा : सुविधाएं मिलनी चाहिए । इसलिए अभी इसको पास न करें, एक्स एम० पी० ग्रीर प्रेजेन्ट एम०पी० दोनों को लेकर कांप्रिहेंसिव बिल लाएं। उसमें 60 दिन का ग्रभी जो प्रावधान है उसको खत्म कर दें ग्रौर फीडम फाइटर जो रहे हैं श्रीर एम० पी० भी रहे हैं उसमें यह बात नहीं होनी चाहिए कि फीडम फाइटर एम० पी० हैं तो उनको फीडम फाइटर का भत्ता न मिलेगा। इस पर भी भ्राप विचार करें। ग्राप ले सकते हैं मिनिस्टर के नाते लेकिन फीडम-फाइटर जो एम० पी० है वह नहीं ले सकता है, इस प्रकार की एनोमली नहीं होनी चाहिए। आप इसे अभी पास न करें, वापस ले लें, बाद में कांप्रिहेंसिव बिल लाएं, यह मैं चाहता हूं।

श्रीमती सरोज खापडें (महाराष्ट्र):
उपसभाष्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से
में मंत्री महोदय का ध्यान एक चीज की
और आकर्षित करना चाहती हूं। अभी
सदन में सदस्यों की फैसिलिटीज के बारे
में जो कुछ कहा गया है, उसी के संबंध
में मुझे भी कुछ कहना है...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): For ladies purposes? 1810 RS—10.

श्रीमती सरोज खापडें: जैसा कि हम देखते हैं—दोज हू ग्रार मैरीड—उन को ग्राप स्पाठज पास देते हैं लेकिन जो मैरीड नहीं हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। जो विडोग्रसं हैं या विडोज हैं उन के लिए भी परेशानी है....

श्रोमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : या जो बैचलर्स हैं।

श्रीमती सरोज खायहें: वैचलर्स के लिए भी परेशानी है। मैरीड लोगों को श्राप स्पाऊज का पास देते हैं लेकिन हमारे जैसे लोगों की बुरी हालत होती है, सेक्योरिटी पोइन्ट श्राफ ब्यू से भी। हम लोग जो ट्रेन से प्रवास करते हैं, सफर करते हैं, मुझे लगता है स्पाऊज की जगह श्रगर श्राप 'कंपेनियन'' उस में जोड़ दें, इन्स्टेंड श्राफ स्पाऊज . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Perhaps for widows one can understand but perhaps Government must be thinking to give some incentive so that you can find.... (Interruptions)

श्रीमती सरोज खापडें: देखिए उप-सभाध्यक्ष जी, यदि गवर्नभेन्ट ने आज इस प्रकार की परिस्थिति में कंपेनियन का पास देने का काम किया तो शायद भूपेश दादा और मेरे जैसे लोगों को . . . (द्यवधान) . . .

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I am almost inclined to sympathise with you. But I have no companion.

श्रीमती सरोज खापडं: इस पर ग्राप जरुर कछ करिएगा . . .

डा॰ भाई महावीर : दोनों एक दूसरे की समस्या हल कर सकते हैं। Both the hon'ble Members can solve each other's problems. SHRIMATI PRATIBHA SINGH: Why? Has there been no widow or widower in the Opposition? In the *same* category have you a spouse, whether legally or ilegally? We want to know that, because even in the Opposition there are people like your leader, Atal Behari Vajpayee who is a bachelor. *So...* 

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I think the hon'ble Member will suggest to Mr. Vajpayee instead of suggesting to Mr. Bhupesh Gupta.

DR. BHAI MAHAVIR: That is what I am suggesting; it may be that the Government wants to solve the problem of bachelors.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Bhupesh Gupta is pretty senior. Who will marry him? He is already 70 now.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is true that both Vajpayee and myself fortunately or unfortunately are bachelors.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): But you are not an eligible bacheloi. (Interruptions).

SHRI BHUPESH GUPTA: We are bachelors. But Mr. Vajpayee is a bachelor with a difference. (Interruptions).

श्रीमती सरोज खापड़ें : उपसमाध्यक्ष जी, मुझे इस विषय में इतना ही कहना है कि 'स्पाउज' की जगह—विडोधर के लिए, वेचेलर के लिए—'कम्पेनियन' के नाम से पास इशू करें तो हमारे सामने जो सवाल है उस का हल निकल सकता है। इस और मंत्री जी का ध्यान होगा, ऐसी उम्मीद करती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Yes, Mr. Bhupesh Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, in I this Bill, there is nothing much to speak about. How the six days have I been calculated, I do not know. But, Sir, on the face of it, once you accept the principle of pension, well such anomalies should be removed. (I?iter-ruptions). Will the Minister stop disturbing us?

Sir, a Member has raised a big question and, also, Sir, in a way, Shrimat) Saroj Khaparde has raised this point. There will be controversy over it in this case. (Interruptions). What is it all about?

SHRI MANUBHAI PATEL: They are saying that you should not call Khaparde as "Mrs. Khaparde", but as "Miss Khaparde" only.

SHRI BHUPESH GUPTA: Excuse me. (Interruptions) I apologise to you. May God bless you!

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: S£r, in Maharashtra—you come from there and I hope you will agree with me—nobody will call a girl, after her crossing a certain age, even though she is unmarried, as "Miss so and so". They will call her as "Shrimati so and so" only. They will call me -'Shrimati Saroj 'Khaparde". "Shrimati" i<sub>s</sub> supposed to be a respectable word there in Maharashtra. But you were not born in Maharashtra, Mr. Gupta.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNT): Madam, Mr. Bhupesh Gupta is a Barrister from London and, in foreign countries, even up to the age of eighty years or so, they call a woman as "Miss..." only, whether she is a widow or not. (Interruptions).

SHRI R. RAMAKRISHNAN: That is why, Sir, the Women's Lib people do not want this "Miss" and "Mrs" confusion. So, they simply say "MS" I do not know whether in Hindi an equivalent to that has been found. (Interruptions).

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, as far as England is concerned, the less "said, the better, I am not one of those •who start calling "Mrs." as "Miss"-But I know of many people who, for obvious reasons, prefer to call "Mrs." as "Miss"

as Mrs.! (Interruptions). Now, insofar as what she

has said, in Bengal also, we always call unmarried girls as "Shrimati". It is a highly courteous expression. I find here that "Shrimati" is used in respect of married women only. But, t in West Bengal, we use the word "Shrimati" in respect of others also. So, Sir, at least on the issue of her being a "Shrimati", we two are in agreement and there will not be any walk-out on that, I know.

Now, Sir, coming to this Bill a? I said, it requires a little thinking. I am feeling a little disturbed. The whole idea of pension and other things came. My friend says that we should not take it. Many are taking it. Now it has come to stay.  $I_n$  other~States also, Sir, pension has come to stay. We cannot now say, "Well, we reject it" and put up a brave face. We have our own ideas about it. I And this in most of the other countries also and it is permitted there and this should be permitted especially when MPs come from the poorer section $_3$  of the people, as I indeed they should come gradually, and the more, the better.

Now, Sir, one thing is causing anxiety and 1 strike a note of warning here. During the emergency there was a big lobby. I was myself lobbi-

- 'ved for raising the salaries, allowances and what not, and I felt like saying: Why don't you go to the State Bank of India upstairg and run away with cash? T almost felt like saying that. Now I will not say anything more than that. Discuss it from the point
- ^ of view of principle. We want to put up a good image of Members of Parliament—all of us, no matter which party we belong to. We want the p-estige and credehility of the

institution itself. Now, Sir, when wa hear that lobbies are working for raising the salary, allowances, daily allowances, by • hundred per cent, seeking railway passes, airconditioned railway accommodation, companionship and other things—I can understand many other facilities of that type \_\_\_\_ (Time bell rings) It is not that I am opposed to extension of some facilities. You discuss it and extend all what

you need. But, Sir, if, for example, we raise our salaries by hundred per cent, emoluments by hundred per cent \_\_\_\_\_\_ (Interruptions) I know that you will not do it. I am not blaming anyone of you. But you see, my dear friend Saroj, you do not seem to be aware of all the

anyone of you. But you see, my dear friend Saroj, you do not seem to be aware of all the lobbies. Some lobbies you are aware of. But some of these lobbies do not come to me because they think that I may be a difficult person in such matters, because they think I am an out-dated person. I do not want a terylene shirt or very expensive suits and all that. You can understand... (Interruptions)

SHRIMATI MONIKA DAS (Karna-taka): You have no children. You cannot have the feeling...

SHRI BHUPESH GUPTA: You are the embodiment of our womanhood. (Interruptions).

Now, Sir, I ask the Minister kindly to ponder over it. The emergency mentality has come. The LIC officers are being denied any rise in their salaries. Public sector people are being denied it. Many others are complaining. They are not going to get any rise in their salaries and all these kinds of things. Just at that moment if you...

SHRIMATI MONIKA DAS: One minute. When we go to the States, somebody asks us: "What ig your pay? You are Member of Parliament". Then I tell him: My pay is Rs. 500 per month. They hardly believe that my pay is Rs. 500. Even a bank peon is getting Rs. 600. We Members of Parliament are getting Rs. 500.

SHRI BHUPESH GUPTA: I think I understand the Marathi lady better than I understand the Bengali lady. (Interruptions) With all respects to my sisters in Bengal, I am not at all against it. You discuss it as you think best. Come to your own conclusions and come together. But one thing, do not go in for what was done during the emergency. Many of you were not there. I do not blame any one.

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: You agree for the companion then?

AN HON. MEMBER: Lady companion. (Interruptions)

SHRI BHUPESH GUPTA: I can well understand Shrimati Sarojs concern for companionship just as I do about mine. But at the moment I am not dealing with that. (Interruptions). This subject has various aspects. Companionship is a proposition which is highly complicated. situations. It (Interruptions).... In certain is not just an economic proposition. were an economic proposition, we settle it just now. But you know very well as well as the others do that the concept of companionship is something very elastic. Therefore, I would not go into it. It commonsense thing. If he travels with me as my companion or I travel with him as his companion, no complications arise. But suppose something happens. (Interruptions) Much as I would like to travel with them, I would hesitate to travel with them. But it will have objective complications and not subjective complications.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Shahi, please start now. Mr. Bhupesh Gupta is not listening to me. What can I do?

SHRI BHUPESH GUPTA: Well, we are not concerned with companionship. It is not a Bill for companionship. (*Interruptions*) Some amendments have been given. Some

Congress(I) friends have also given amendments. You may consider them. One thing is quite clear. I have been appalled by the reports \* reaching me all the time to raise by 100 per cent or 150 per cent of what we are getting and a pass for first-class air-conditioned travel. In fact, the airconditioned first-class should be abolished. That is all I want, Mr. Minister for Parliamentary Affairs, 'whenever you do such things, please have due consultations and consideration from this angle and don't yield to the pressure of your lobby. Once again, all my companions, I thank you for the kind hearing and I can tell you that everyone of you would be welcome as my companion notwithstanding the fact that there are^ complications in some cases.

श्रो नागइवर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) । उपसभाष्यक्ष जी...

उपसभाष्यक (श्री ध्ररविन्द गणेश कुलकर्णी) : शाही जी, टाइम तो कम है, ग्राप जल्दी खत्म कीजिए।...(व्यववान)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही: श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्व का विषय है। इस पर आप अपनी घंटी पर कंटोल जल्दी न करें।

उपसभाष्यक्ष महोदय, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। डा॰ रामसुभग सिंह भूतपूर्व रेलवे मंत्री थे जिनका स्रभी हाल में ही देहान्त हुझा है और वह रेल मंत्री बहुत दिनों तक थे।

**श्री कल्पनाथ राय (उ**त्तर प्रदेश) : 20 साल । 20 साल । ..(**व्यवधान**)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : वह एम० क् पी० भी थे और रेल मंत्री भी थे। जब वह रेल मंत्री नहीं रहे तो वह एक दिन थर्ड क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। एक स्लीपर में वह गये। उन्होंने कडक्टर से निवेदन किया कि भाई मैं मोटा आदमी हं, मुझे जरा बैठने में दिक्कत होती है तो बीच वाला वर्ष खाली छोड़ देना। कंडक्टर उनको फटकारने लगा । संयोग से एक दूसरे संसद सदस्य वहां थे शंकर दयाल सिंह। .. (ब्यवधान)। आप जरा सुनिये गौर से, कहीं आप पर न आ जाए। उन्होंने जब देखा कि उनको टी० टी० डांट रहा है तो वह उसके पास गये और कहा कि तुम पहिचानते नहीं हो, ये डा० रामसूभग सिंह हैं। तो टी० टी० ने माफी मांगी और कहा कि बड़ी गलती हुई। मैं तो आपके ही हाथ से अपाइंट हुआ था ।...(इयवधान)

डा॰ भाई महाबीर : क्या गलती हुई श्रपाएंटमेंट में ?

श्रो नागेश्वर प्रसाद शाहो : हंसी मैं मत टालिये महाबीर जी। जरा समझिये। जनसंघ के लोग कभी-कभी बोल जाते हैं (च्यवघान)। मैं यह कह रहा था कि बजाय इसके कि भ्राप एम० पी० की पेंशन वायें या सेलरी बढायें में इसके सख्त खिलाफ हं क्योंकि हम लोगों का पहले ही से राजनीतिक जीवन ऐसा रहा है कि हम अपनी सेलरी बढ़ाने के पक्ष में नहीं रहे। लेकिन फेसिलिटी ग्राप जरूर इतनी दें कि जब वह संसद सदस्य न रहे या संसद सदस्यता से रिटायर हो जाए तब भी एज ए सोशल वर्कर, पोलिटिकल वर्कर उसे काम करने की सुविधा रहे। उतनी ज्यादा भ्रावश्यकता 5 सौ, तीन सौ रुपये की नहीं है जितनी भ्रावश्यकता इस बात की है कि पालिटिकल वर्कर जब एम० पी० न भी रहे तब भी अपने सुबे में, अपने देश में वह घुम सके और राजनीतिक और सामाजिक कार्य कर सके। इस वात की मांग सभी कार्नर से बहत अर्से से होती चली आ रही है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री इतने मीठे हैं कि किसी बात से इन्कार भी करते नहीं हैं और कुछ करते भी नहीं हैं। न इन्कार करते हैं और न कुछ

काम ही करते हैं। जब से यह संसदीय मंत्री हए तब से हम देखते हैं कि सैंकड़ों एम०पी० हर्दल के उनसे इस बात को कह चुके हैं कि ग्राप सुविधाएं बढ़ाएं ताकि पालिटिकल वर्कर के तौर पर ग्रपना काम कर सकें।

श्री कल्पनाथ राय: विजली-पानी ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : अपने क्षेत्र में जा सके। आज हालत यह है कि अपने जिले में कहीं पर कोई भीषण घटना हो जाए और वहां जाना चाहें तो अपने स्थान से उस स्थान तक ग्राने-जाने के लिये जीप के दो सौ रुपये लग जायेंगे। इससे कम में कोई जीप जाने के लिये तैयार नहीं होती क्योंकि वह वहां से 25-30 मील दूर है। हम को पांच सौ रुपए के करीब तनस्वाह मिलती है उसमें से 200 रुपये जीप के इस कैंसे खर्च कर सकते हैं। जाना भी ग्रावश्यक होता है इसलिये खर्च करना पड़ता है।

श्री कल्पनाथ राय: विजली-पानी के बारे में तो बोलते नहीं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : पैसा बढाने के बदले आप सुविधा अवश्य बढ़ायें और जल्दी बढ़ायें। (सम**य की घंटी**) शरू में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक घंटा ग्रीर ज्यादा बैठ जायेंगे । मुझे थोड़ा ग्रौर बोलने दें ।

श्री कल्पनाथ राय: रेलवे के बारे में बोलिये।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हम लोग, संसद सदस्य जो काम करना चाहते हैं उन्हें दो-दो घंटे ग्रपने हाथ से लिखना पडता है।

श्री कल्पनाथ राय: सही बात है।

भी नागेश्वर प्रसाद शाही: चाहे सवाल लिखना हो, कालिंग अटेंशन लिखना हो, हमें

Pension nf

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही] भपने घर के अन्दर कार्बन लगा कर दो-दो घंटे तक लिखना पड़ता है और तब जल्दी-जल्दी वहां से दौड़ कर नोटिस ग्राफिस में दाखिल करना पडता है।

श्री रामा नन्द यादव: 10 बजे के पहले।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आपके श्राफिस वालों ने शतें रखी हुई हैं कि 10 बजकर 10 मिनट तक जो नोटिस धाफिस में दाखिल हो जाएगा उन्हीं के कागजों पर गौर करेंगे चेयरमैन साहव । हम को ग्रपने घर पर बैठ कर सारे भ्रखबार, सारी-न्यूज, सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है और तव वाहे स्मेशल मेंशन हो या कालिंग अटेंशन हो उसको लिखकर यहां दौड़ कर स्नाना पड़ता है। मंत्रियों को तो आपने चार-चार, पांच-पांच पी० ए० दे रखे हैं। एक सेक्रेटरी है, एडीनशल सेकेंटरी है, पी० ए० है श्रीर दूसरा स्टाफ है लेकिन एम० पी० को कुछ भी नहीं दे रखा है। ग्राप एम० पी० को कम से कम इतनी सुविधा जरूर दें कि वह ग्रपना सेकेटरी या पी० ए० रख सके जो उसके पालियामेंट के काम में सहायता करे। यह सुविधा ग्राप दे सकते हैं लेकिन इस पर भ्राप विचार नहीं करते।

श्री कल्पनाथ राय: एम० एल० ए० को फैसिलिटी है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही: वगल में हरियाणा, है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। हर जगह विघायकों की तनख्वाह एम० पौ० से ज्यादा है। आज ही अखबारों में यह बात ब्राई है कि मध्य प्रदेश में श्री ब्रर्जुन सिंह साहब ने टेलीफोन का एलाउन्स तीन सौ रुपये बढ़ा दिये हैं। उन्होंने यह भी प्रोवाइड कर दिया है कि अगर अपने टेन्योर के दरमियान कोई विधायक मर जाएगा तो उसके टैन्योर के दौरान उसकी पत्नी को दौ सौ रुपये माहवार मिलेंगे । ऐसी स्थिति में जब सरकार विधायकों के लिए शरी सुविधाएं कर रही तो मैं श्री

भीष्म नारायण सिंह जी से कहूंगा कि वे संसद् सदस्यों की तरफ भी घ्यान दें . . (समय की घंटी) । वाइस चेयरमैन साहब, कल हमारा हाउस साढ़े ग्राठ बजे तक बैठा है, श्राप जरा हमें बोलने दीजिये।

(श्री खरींबद गणेश उपसभाष्यक्ष कलकर्णी): आप जल्दी खत्म करिये। इतना टाइम लेना ठीक नहीं है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, में खत्म कर रहा हूं । मंद्रियों के लिए विजली-पानी सब कुछ फी होता है। विधायकों के लिए भी सब चीजें की हो गई हैं । उनका जो खाना बनता है वह भी फी हो गया है, गैस फी हो गई है। अगर उनका कोई गैस्ट होता है तो उसके लिए भी खाना फी हो गया है। वह भी खाना वहीं बनाता है। आप जानते हैं कि हमारा बिजली का बिल कितना भ्राता है ? मेरा पिछले महीने का विजली-पानी का विल ढ़ाई सी एपये आया है। 234/-६० का बिल ग्राया है। इस तरीके से हम लोगों के विजली और पानी पर ही काफी पैसा देना पड़ता है। श्रीमन्, एक शब्द में यह भी कह दं कि मैं इसके खिलाफ हं कि यह तनस्वाह ग्रीर पेंशन की रकम न वढ़ाई जाय । जब तो हमारी पालियामेन्ट में वहत बडी संख्या में मिल-मालिक मा रहे हैं। वे भ्रपने रुपये के बल पर टूट पड़ते हैं। उनके सामने अपने काले धन को कैसे खर्च किया जाय, यह समस्या रहती है। वे राज्य सभा श्रीर लोक सभा के लिए 10-10 लाख और 5-5 लाख रुपये टिकट लेने के लिए झाँक देते हैं। पालिटिकल पार्टियों को रूपया देते हैं। ये सारे लोग यहां पर ग्रा रहे हैं। पालियामेन्ट में कोई भी साधारण पालिटिकल वर्कर आने की बात सोच भी नहीं सकता है। आप संसद्-सदस्यों की तनख्वाह बढ़ायें या पेंशन बढ़ायें, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। में चाहता ह कि पालिटिकल वर्कर्स को श्रपना काम करने की सुविधाएं होनी चाहिए !

में चाहता हूं कि ग्राप संसद्-सदस्यों को वे सुविधाए उपलब्ध करायें जिससे वे किसी की पाकेट में न पड़ें। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि ब्राप इन सब वातों पर विचार करके कोई ऐसा विधेयक लायें जिससे संसद्-सदस्यों को वे सभी सुविधाएं प्रदान की जा सकें ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से निभा सकें। वर्तमान विधेयक का कोई मतलव नहीं निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि एक एम० पी० को ईमानदारी के साथ अपना काम करना है तो उसके लिए घाप सब सुविचाएं प्रदान करें। अपने कुछ साथियों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ ऐसे भी साथी हैं जो पैसे वालों के बल पर पी० ए० रखते हैं, पैसे वालों के बल पर गाड़ियां रखते हैं, पैसे वालों के बल पर दूसरी चीजें रखते हैं। पैसे वाले मिल-मालिकों से उनका सम्पर्क रहता है। उनके लिए वे काम करते हैं। इसलिए भेरा निवेदन है कि अगर ग्राप एम० पीज० को ईमानदार रखना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि वे पैसे वालों की पाकिट में न जायें तो उनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कीजिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Jain, you asked for three minutes.

SHRI J. K. JAIN (Madhya Pradesh): No, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): If everybody says no, no, I cannot conduct the House like this. Mr. Jha spoke for three minutes. Now everybody wants ten minutes.

श्री जे के के जेत : उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं अपने माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह जो रूल्स भीर नाम्सं वनने हैं वे हमारे ब्युरोकेट्स बनाते हैं और मंत्री जी उनको यहां लाकर पास करवाते हैं। अगर देखा जाय तो संसद-

सदस्यों को इन ब्यूरोकैट्स ने चपरासी शीर वलके से भी ज्यादा बदतर बना रखा है। तनख्वाह का जी कलंक संसद-सदस्यों के माथे पर लगा हुआ है, मेरी यह मांग है कि इस कलंक को जितनी **जल्दी मं**दी जीहटा दें उतना ही ग्रच्छा होगा। आप जानते हैं कि संसद्-सदस्यों को केवल 500 ६० माहवार तनस्वात्

मिलती है। लानत है ऐसी तन-5 P.M. ख्वाह लेने पर । एक संस**द्-सदस्य** 

का विजली का बिल, उसकी कांस्टिट्येंसी से लोग आते हैं, मिलने बाले लोग आते हैं, हम यहां सदन में बैठे होते हैं और कांस्टीट्ऐंसी के लोग वहां बैठे रहते हैं पंखा चलता है, बिजली जलती है, फिज भी चलता है, उनको पानी दिया जाता है। बिजलीका बिल 250 हु0, 300 हुपये और पानी का बिल 150 रुपये और 200 रुपये याता है। जो लोग कांस्टिट्येंसी से याते हैं वे टेलीफोन का प्रयोग भी करते हैं कितना जबदंस्त बिल आता है। जलपान पर भी आता है। उपसभाष्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कहा जाता है कि राजनीति से भ्रष्टा-चार को हटाया जाय । पर भ्रष्टाचार कहा से हटेगा ? भ्रष्ट बनाने के लिए तो यहाँ। काम हो रहें हैं; संसद् सदस्यों को भ्रष्ट बनाने के लिए उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, कि ग्राप भ्रष्ट वनिये । आपका महीने में जो खर्चा होता है उसके लिए रिश्वत लीजिये, श्राप लोगों से रिश्वत लेकर काम करवाइये, कांस्टिट्येंसी के लोग यहां आयें और इस तरह से आप उनकी सेवा करें । कोई भी संसद्-सदस्य चाहे मकान उसको सरकार से मिला हुआ हो, उसमें रहे या न रहे लेकिन उसके मेंटिनेंस पर, उसके विजली के बिल पर, टेलीफोन के बिल पर, लोगों की आवभगत पर, फर्नीचर के किराये पर, पदी के किराये पर ग्रीर बिल्डिंग के किराये पर 1500 रुपये और 2000 रुपयें से कम <sub>लर्</sub>ची स्राता नहीं है । ले लीजिये अपनी

[श्री जे०के० जैत]
तनहवाह वापस । हमें नहीं चाहिये यह
500 रुपए का कलक । लेकिन जिस
मकसद से संसद् सदस्यों को चुनकर बुलाया
है श्रापने उसको देखते हुये यह सुविधा
धापको उन्हें प्रदान करनी चाहिये । नहीं
तो आप अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित कर
रहे हैं इन संसद्-सदस्यों को भ्रष्ट होने के
लिए।

Pension of

मैं एक बात और कहना चाहूंगा अपने मंत्री जी से । इंटरमीडिएट जरनी यहां पर परिमट की जाती है और प्रोत्साहित किया जाता है कि आप सदन में न रह कर हवाई जहाज के द्वारा सैर कीजिए । आप क्या सदन के सदस्यों को हवाई याता

#### [श्री उगसभागित पीठासीन हुये]

नारने के लिए बुलाते हैं ? मैं यह नहीं कहता कि इंटरमीडिएट जरनी खत्म कर दीजिए । लेकिन उपसभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है । जैसे कि एक सेशन के भ्रन्दर दो या तीन जरनी दी जाती हैं। साल में 3-4 सेशन होते हैं टोटल । इस तरह से 8 या 10 जरनी होती हैं। मैं यह नहीं चाहता कि यह जो 8 या 10 जरनी संसद सदस्यों को जो दी जायें उसे इस तरह से रस्सी से बांध कर रखा जाय । ग्राप कहते हैं कि साल के ग्रन्दर ग्राठ जरनी देंगे लेकिन इसमें भ्राप उनको यह सुविधा दें कि वे किसी भी वक्त ग्रपनी कांस्टीटएंसी में जा सकें। मतलब क्या है इस बात का कि सदन चल रहाहै थ्रौर संसद्द सदस्य अपनी इंटरमीडिएट जरनी के लिए यहां से जा रहे हैं। श्राप ऐसे गंदे नाम्सं को उसमें से क्यों नहीं निकालते हैं। किशी ब्युरोकेट ने ऐसा कानून बना दिया और पोलिटीशियन, राजनेता और मंत्री लकीर के फकीर बन कर क्या चलते रहेंगे ? ग्राप ऐसे गलत नार्म्स को फौरन हटायें और संसद-सदस्यों की तनख्वाह बढ़ाने

की जगह और पेंशन देने की जगह आप काम ऐसा करिये कि जो संसद सदस्य हैं वे अपने देशवासियों, नागरिकों और इपनी कांस्टीटएंसी के लोगों की सेवा कर सकें ग्रीर उस सेवा के लिए ग्रापको चाहिये कि ग्राप उनको इस तरह की सुविधायें प्रदान करें। ग्राप यह मत समझिये कि एक मंत्री के ऊपर ही सारा काम होता है। मंत्री से ज्यादा काम संसद सदस्य करते हैं। संसद सदस्यों के पास इतना ही काम होता है जिंतना मंत्रियों के पास होत है। ग्रापका ग्रगर एक पी० ए० खींच लिया जाय तो ग्रापको पता लगता है। 6 पी० ए० के होते हये भी आप 1 पी०ए० तक को सरेंडर नहीं कर सकते और उधर ग्राप संसद् सदस्य को एक क्लर्क और एक टाइपिस्ट से भी बदतर रखते हैं। उसे हर चीज को हाथ से लिखकर देना पडता है । धगर डिलीवरी करनी हो तो कहां से आयेगा चपरासी ग्रौर एक बाइसिकल की कीमत ग्राज 450 रुपए है। क्या मजाक बना रख है। बात करते हैं पेंशन की और 60 दिन घटाने की लेकिन बात नहीं करते कि इस तरह की संसद् सदस्यों को स्विधा दी जाय काम अगर कराना चाहते हैं, बैल धगर काम करता है तो उसको भी पेट भर खाना देना पडता है तभी वह काम करता है नहीं तो बैल सींग मारता है। तो मेरा श्रापसे निवेदन है कि श्राप संसद सब्स्यों की तनख्वाह, उनकी पेंशन की बात न करें. उनको सुविधा दी जाय, वे अपने देशवासियों की सेवा कर सकें।

श्री ग्रसद मदनी (उत्तर प्रदेश): िंटी चेयरमैन साहब, मैं श्रर्ज करना चाहता हूं कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन तो है ही, मैं उनकी सहूलियतों धौर बेहतरी के लिए कहना चाहता हूं कि जो कभी पालियामेंट के मेम्बर रहे हैं, ग्रौर रिटायर हो चुके हैं। उनके पास कम से कम एक ऐसा कार्ड हो जिससे कि बे जब

रेल में या कहीं श्रीर भी जायें तो उससे लोग यह समझें कि वे बी० श्राई० पी० हैं, श्रीर उनको थोड़ा बहुत तरजीह मिले । ऐसी हालत हो जाती है पालियामेंट के मेम्बरान की जो कि रिटायर हो जाते हैं जैसा कि श्रभी श्री रामसुभग सिंह जी का किस्सा सुनाया, वह खड़े रहते हैं श्रीर दूसरे लोग श्री हायर श्रीर फर्स्ट क्लास में सीट हासिल कर लेते हैं । या कहीं डाक बंगले में जा कर ठहर जायें । उनको ऐसा कोई श्राप श्राइडेंटिटी कार्ड दें जिससे यह पता लग सके कि वह इतने दिनों तक मैम्बर रहा । उनको श्रपने सूबे में, हल्के में श्रफसरान को मिलने के समय श्राइडेंटिटी कार्ड होना एक श्रच्छी बात होगी,

इसलिए हम यह चाहते हैं कि ग्राप इस

पर गौर करें।

इसी तरीके से फर्स्ट क्लास का पास दूसरा भी होना चाहिए। बीबी, मां, वहन या बेटी या बेटा या भाई किसी जरूरत के लिए ग्रपने साथ रखने की जरूरत पड़ सकती है। ग्राजकल तो बड़ी-बड़ी द्रेंस 11-12 बोगियों की हो गई हैं। एक किनारे पर फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं ग्रीर दूसरे किनारे पर स्लीपर में दूसरे को जगह मिलेगी या सिटिंग में मिलेगी तो कोई सूरत नहीं कि बम्बई तक ग्रगर कोई काम पड़ जाए तो उसकी सूरत देख सके । तो इसलिए मैं चाहता हूं कि फर्स्ट क्लास का दूसरा पास भी होना चाहिए। इससे ज्यादा जुल्म यह है कि काम के सिल-सिले में जब ग्रापने फर्स्ट क्लास का पास पूरे हिन्दुस्तान में सफर करने के लिए दे रखा है लेकिन ग्रव तो हवाई जहाज भी ट्रेंस की तरह से पूरे हिन्दुस्तान में हो गए हैं । जो फेसिलिटीज स्नापने र्पीलयामेंट के मेम्बरों को दी हुई है

उतनी हा फासालटाज या उसा तरह स हवाई जहाज में सफर करने की सह-लियत ग्राज तक ग्रापने नहीं दी । ग्रगर जरूरत पड़ जाए तो वह थोड़े से वक्त में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जा सके जिसका उसको 100 फीसदी किराया देना पड़ता है। लेकिन अगर वह ट्रेन में जाए तो वह मुफ्त में पहुंच जाए । वही देन का भी कनसेशन 50% , 33%आज तक आपने नहीं दिया । अगर फ़ी नहीं कर सकते तो जैसे कि दूसरे मुल्कों में प्लेन की सर्विस की बहुत से दूसरे मल्कों में सहलियत है वैसे ही दे दें। ग्रब तो हवाई जहाज का सफर कोई एयर कंडीशंड जैसे नहीं रह गया । अब तो हवाई जहाज का सफर ट्रेन की तरह से हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैम्बर पालियामेंट मुल्क से वाकिफ हों, चीजों को देखें ग्रीर ग्रापकी सही खिदमत करें तो ग्रापको उनको हवाई जहाज से सफर करने की सहलियत देनी चाहिए। अगर फ़ी न करें तो कम से कम इतना कनसंशन तो दें जिससे अगर वह सफर करें तो उसको वर्दाश्त कर सकें।

इसी तरीके से हाउस के किराये की बात है। असेम्बलीज में फ़ी रहने की, विजली वर्गेरह की सहूलियते हैं। दफ्तर के काम में दो तीन एम० पीज० को एक आदमी दे दें जो दो-तीन घंटे आ कर उनकी जरूरी कारसपोंडेंस अटेंड कर सकें। अगर एक आदमी एक एम० पी० को दे दें तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो बहरहाल कुछ न कुछ होना चाहिए। इस मौजुदा अकल में कुछ किया जाए। जल्दी इस काम के लिए कुछ किया जाए।

श्री भीष्म नारायण सिंह: मान्यवर मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन लोगों ने इस छोटे से

### [बीभीयम नारायण सिंह]

विश्वेयका में इतनी दिलक्सी ली है और ध्रपने बहुम्स्य सुझाव दिए । इस विल का उद्देश्य बहुत साधारण है ग्रीर यह भ्तपूर्व संसद् सदस्यों से सम्बन्ध रखता है। लेकिन इसी के माध्यम से बहत कुछ जानकारी वर्तमान सम्मानित सदस्यों की कठिनाइयां जो उनके सामने हैं, उनके बारे में मिली। हम भी अपने को उन लोगों से अलग नहीं मानते और उन्होंने जो चिता, भावनाएं व्यक्त की हैं, कठिना-इयों के बारे में चर्चा की है उस के बारे में हमें सहानभति है । मझे यह मालम है कि भारतवर्ष में जो संसद सदस्यों को बैतन, भत्ते या जो स्विधायें मिलती हैं उससे दूसरे देशों में कहीं ज्यादा कर के मिलती हैं । जैसे कि अभी नागेश्वर प्रसाद शाही जी ने कहा कि कुछ विधान-सभाग्रों या विधान-परिषदों के सदस्यों को भी सुविधायें संसद सदस्यों की तुलना में शायद ज्यादा मिलने लगी हैं। लेकिन इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हं कि जहां हम सब लोगों ने इन सभी विषयों पर विचार करने के समय इस बात की चिंता रहती है कि श्रापकी जो वास्तविक कठिनाइयां हैं उन्हें दूर किया जाए. इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है जिससे ग्राप सब भी सहमत होंगे कि ग्राप संसद् सदस्य हैं, समाजसेवी भी हैं । भारतवर्ष में समाज सेवन ना स्थान बड़ा ऊंचा रहा है । इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही निर्णय होते हैं। श्रीर इसीलिए श्राप देखतें होंगे कि जब हमारे वयोवृद्ध नेता श्री भूपेश कर रहे गप्त जी अपने विचार व्यक्त ग्रीर ही वे तो इनका विचार कुछ जी भी । लेनिन श्री भूपेश असहमत बात से नहीं संसद् सदस्यों को न्काम काज करने के लिए उनकी सुविधायें बढ़ायी

जायें । तो इसलिए मैं घापसे यह जरूर कहना चाहुंगा कि जब संसद सदस्यों के संबंध में विचार हम सब करेंगे और मेरे पास दो किस्म के रिप्रेजेंटेशन आये हैं, एक तो आया है संसद सदस्यों के द्वारा जिसमें लगभग सभी दल के संसद सदस्य हैं, वह पिछले सन्न में मुझे दिया गया और दूसरा जो ज्वाइंट कमेटी धान सेलरी एण्ड एलाऊंसेज ग्राफ एम०पीज् का है उसके कुछ रिक्मेंडेशन मझे मिले हैं । रिकामेंडेशन पर हम लोग विचार कर रहे हैं और जैसा मैंने द्यापसे बताया, मैं आपसे अपने आपको भिन्न नहीं मानता हं। अतः विल्कूल व्यावहारिक द्धिकोण जो है वह फैसला लेने में अपनाया जायेगा । इस वजह से कि जो आपकी वाजिब कठिनाइयां हैं उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और दूसरी तरफ इस बात को भी नजरश्रंदाज नहीं किया जा सकता है कि जो आदर्श हमारे संसद सदस्यों का उपस्थित है उसको किसी तरह ते आंच लगे ।

जहां तक श्रीमती सरोज की बात है। अब मैं उनको कुमारी कहं या श्रीमती मुझे पता नहीं क्योंकि हमारे बिहार में कुमारी कहा जाता है. (व्यवशान) परन्त् उन्होंने खुद ही कहा नि महाराष्ट्र में श्रीमती कहा जाता है। इसलिए मैं श्रीमती सरोज खापर्डे जी से यह कहना चाहता हूं क्योंकि जितने सम्मानित सदस्यों ने विवाद में हिस्सा लिया उनमें एक सम्मानित सदस्या श्रीर एक सम्मानित सदस्य श्रविवाहित थे तो ग्राप दोनों से मेरी बड़ी भारी सहान्भृति है । भूपेश जी तो बड़े ब्जुर्ग हैं लेकिन उस ब्जुर्ग से भी मुझे काफी सहानुभूति है और जी सुझाव छापने दिए हैं उन सुझावों के प्रति मेरी महानुभूति है।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है मेंने आपसे बताया, जिक्र किया कि यह नतात्र 8...(इयबधीन) से बढकर और कौत सी भावना में प्रकट करूं।

थॉमती सरोज खावडें : सहान्मति और विचार नारेंगे या नहीं नारेंगे, इन दोनों में फर्क है ।

शो मीध्न नारायण सिहः तक इस छोटे से विजेयक का प्रक्र है वह नलान 8 से संबंधित है ग्रीर उसी के संयोधन के रूप में हमने प्रस्तृत किया है और इसमें इस बात का ध्यान रखा गवा है, परा विचार करते समय ध्यान रखा गया है कि ग्राखिर जब हम 60 दिन के लिए यह संशोधन लाते हैं तो क्यों लाते हैं। क्यों 60 दिन के संगोधन की आवश्यकता पड़ी, दो विचार चल रहे थे। यह बताना इसलिए मैंने धावण्यक समझा कि श्री पटेल जी ने यह कहा कि जो चौथी लोक सभा धौर छठी लोक-सभा के सदस्य रहे उनके बारे में भी सोचना चाहिए था, तो दो बातों का ध्यान रखा गया है। एक तरफ दो यह रखा गया कि रिक्मेंडेशन इस ढंग के भी आये कि जिसमें कहा गया कि वेंशन हटा दी जाये और एक तरफ यह भी कहा गया कि पेंगन की रकम बढ़ाई जाये, और भी लोगों को शामिल किया जाये। पूरी बातों को सामने रखते हुए क्योंकि भगवान न करे मैं ऐसा नहीं मानता कि कभी हमारी संसद प्रणाली में ऐसा वक्त आयेगा कि महीने दो महीने का किसी वक्त लोक सभा का कार्यकाल होगा । ऐसा नहीं है लेकिन ग्राप मान लें सरकार तो बहत जागे सोचकर काम करती है तो उसके परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। मान भीजिए दो हजार मताब्दी में दो महीने में सोक सभा विषटित हो गयी तब क्या उनको पेंशन दी जायेगी या उनको भी सुविधा दी जायेगी। यह कैसे होगा इसको ग्राप सोचिए। इस

बजह से तमाम बातों को रखकर निर्णय लिया गया कि अभी हम लोग जैसे पहली लोक सभा. दसरी लोक सभा और तीसरी लोक समा में जिसमें 60 दिन कभी हो रही थी जिसकी वजह से वे बंचित हैं उनको वह सुविधा देने के दिष्टकोण से यह एक संशोधन विधेयक के रूप में लावे और इसमें सभी लोगों का बड़ा सहयोग मिला। जब ग्राप विचार व्यक्त कर रहे थे तो सभी लोग इस विषय से सहमत थे कि हां संसद सदस्यों की सुविधा वगैरह में ... (व्यवधान)

भी नरसिंह प्रसाद नन्द (उड़ीसा): इसमें बापका सहयोग नहीं मिल रहा है... (व्यवधान)

श्री भीरम नारायण सिंह : में वही कहते जा रहा था... (व्यवधान) मैंने कहा कि यह विधेयक सम्बन्ध रखता है सीमित उद्देश्य से, जो भूतपूर्व संसद सदस्य हैं उनसे सम्बन्ध रखता है। जो वर्तमान समस्याएं हैं, उनके सम्बन्ध में मैंने कहा कि रिप्रेजैन्टेशन मुझे मिले हैं। लगभग सभी दलों के सम्मानीय सदस्यों का, श्रीर जो मेम्बर्स आफ पालियामेंट के लिए सैलरी और चलाऊंसेज की जायंट कमेटी है, उसका रेकेमैंण्डेशन भी है। आपसे मैंने इसीलिए कहा कि हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। अच्छा यह होगा ... (व्यवधान)

भी मनुभाई पटेल : दूसरी सुविधाओं के बारे में तो मैं समझ सकता हं लेकिन जो तीसरी लोक सभा और चौथी लोक सभा---इस विल के साथ यह विलक्त इनकंसिस्टैंट कुसंगत बात थी। चौथी लोक सभा का दो महीने में विसर्जन नहीं हुआ था, चार साल तक चली थी। केवल एक साल पहले उसका विसर्जन हुआ . . . (ब्बबधान) इसमें चौधी लोक सभा के सदस्यों का कसर नहीं था।

जहां तक अमनिटीज की बात है, मैं समझ सकता हं, ग्राप दूसरा कम्प्रीहैन्सिव बिल लाएं [श्री मन्**भा**ई पटेल]

ग्रौर इसमें ग्रमनेटीज शामिल करें, लेकिन इस बिल में शामिल क्यों नहीं करते हो, चौथी लोक सभा को क्यों शामिल नहीं करते हो, क्या दिक्कत है?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने पहले ही आपसे इस बारे में निवेदन किया कि दो विचार थे। एक विचार था कि इस पर अटैंन्शन बिलकुल दिया ही न जाए और दूसरा यह था। तो उसमें समावेश करना था, तो मैं इसको कैसे उचित ठहराऊंगा... (इयबधान)

श्री प्रकाश मेहरोत्ना (उत्तर प्रदेश) : हमारे मित्र जानना चाहते हैं कि ग्रापकी सहानु-भूति की श्रनुभूति हमको कब तक होगी ...? (व्यवधान)

श्री भीष्म नारायण सिंह : मेरी राय यह है कि मेरी सहानुभूति अगर कुछ उसके कार्यान्वयन के रूप में ही आपके समक्ष वह बात आए तो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्वत इसके कि मैं आपको आश्वासन दूं इस तरह का, जिसमें आशा की दुनिया में अवतरित करते रहें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को सदन की स्वीकृति प्रदान की जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We j shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. Clause 2. There are four amendments. Amendment No. 3, Shri Vaishampayen—not there.

Shri Deshmukh—not there. Amendment No. 3 not moved. Amendment No. 4 Shri Ramanand Yadav, are you moving or not moving?

श्री रामानन्द यादव : मैं श्रमैंडमेंट को उठा लेता हूं। लेकिन उठाने से पहले दो बातें कह देना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : उठाने से पहले दो बातें कहने की जरूरत नहीं है। Amendment No. 4 by Shri Mulka Govinda Reddy—not moved.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: Sir. my name is there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then you speak later on, not at this stage. So you are not" moving it. Amendment No. 5.

Clause 2—Amendment of section 8A.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, I move:

5. "That at page 1, line 13, for the figure "1080" the figure "1981" be substituted."

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment No. 6 by Shri Kalyanasundaram —not moved.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

5. "That at page 1, line 15, for the figure "1980" the figure "1981" be substituted."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

Pension of

श्री रामानन्द यादव : उपसभापति जी, मेरा ग्रमेंडमेंट यह था कि स्वतन्त्रता सेनानी एक्स एम ॰पी ॰ जो हैं उनकी संख्या धीरे-धीरे काफी घट गई है ; उन की संख्या नगण्य रह गई है। आज हम एम०पी० हैं तो एम०पी० के नाते हम फीडम फाइटर के नाते जो पेन्शन मिलती है वह ले सकते हैं, एम व्यी रह कर, क्योंकि इनकम का जो लिमिट था उसको सरकार ने हटा दिया। लेकिन जिस दिन हम एम ज्यी व नहीं रहेंगे तो या तो एम ज्यी व की जो पेन्शन है उसको लें या फीडम फाइटर की पेन्शन लें, उन दोनों में से किसी एक को चन कर लेंगे। तो मेरे अमेंडमेंट का मकसद यह था कि यह एनामली हटा दी जाए क्योंकि संख्या बहत कम रह गई है श्रीर ये फीडम फाइटर्स देश की सेवा किए हुए हैं, उन को रिवार्ड मिला है, पेन्शन नहीं कहना चाहिए। यही मेरा अमेंड-मेंट रखने का मन्शा था। मैं मन्द्री जी से इस बारे में ग्राश्वासन चाहता था।

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAI-DU: Sir, I am glad the Minister is interested in providing pension for tile other people who are not able to get it. He has put 60 days. That is all right. Through oversight or bad drafting by the officials, the Members of the First Lok Sabha and the Second Lok Sabha are not getting pension from 1976 whereas others are getting. You have found out the mistake. When you want to help them by putting 60 days, why can you not give them pension from 1976? Why do you want to give them from today? Is it not a discrimination? That why I appeal to the hon. Minister to consider giving it retrospective effect.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That point is there.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Actually it is not possible at the moment to accept the amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no amendment.

SHBI BHISHMA NARAIN SINGH: It is not possible because financial implications are there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the

Clause 1 (Short title)

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, I move:

2. "That at page 1, line 4, for the figure "1980" the figure "1981" be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, I

1. "That at page 1, line 1, for the word 'Thirty-first' the word "Thirty-second' be substituttd."

The question ivas put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ihe question

'That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.'

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

The Title was added to the Bill.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, ba passed."

The question icas proposed.

SHRI MANUBHAI PATEL: I am very sorry to state that the hon. Minister has not appreciated a very relevant point which was quite consistent with the amending clause of the Bill. I had requested, and had moved an amendment also, that the Fourth Lok Sabha Members should be included along with those of the First and the Second.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That point, you have already made.

SHRI MANUBHAI PATEL: I would like to make a request again. . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All -ight.

SHRI MANUBHAI PATEL: ....because this is a very half-hearted measure, a very limited one, and this discrimination between a Member and another Member, I think, is not proper. The analogy of dissolving the House within two months or so, does not apply here because that was for four years. Why should the Members of the Fourth Lok Sabha suffer? They must also be included.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rajya Sabha Members will not suffer.

SHRI MANUBHAI PATEL: I am not having in mind the Rajya Sabha Members only. This is for a cause, for an institution. So, I would request the hon. Minister kindly to come again with a comprehensive Bill and see that along with other things which were suggested by the hon. Members, the Fourth Lok Sabha Members who are being excluded in the amending Bill this time, are also included.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): Sir, I would just like to invite the attention of the hon. Minister to consider one item, that is, protocol. It is not money that mutters. I demand

with emphasis that protocol should be extended to ex-Members. That is number one. I was pained to read a letter from one of the ex-Members, Mr. 1I.V. Kamath, who is not only an ex-Member of the Lok Sabha, but who is also one of the living Members of the Con-stitutent Assembly, that he could not get a railway reservation from V.T. Sir, I demand that the Minister should consider the suggestion that on the Ten tirement of a Member, the pass should be converted into an identity card-cum-railway reservation card. So whenever a Member, who has to work in the cause of sicial service or in politic?, retires, at the time of handing over the pass, he should gel this facility. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN; Yes, you have made your point.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: . . . . because today those who are. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your point is clear. Don't elaborate.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: No. no,- let me make my point clear. Just one minute. Then some of the ! officers of the railways get a family pass even after retirement. So I think the ex-Members should be given either a railway pass to come to Delhi during at least one session of Parliament from their residence or every year they may be given some coupon for 10,000 kilometres or whatever is the distance that you decide upon. That will enable the ex-Members to remain the public arena. Today we are Members. Tomorrow we may be ex-Members. So to keep these people alive in politics or in social service, this protocol must be maintained.

Another point is—the Minister may check this up—in one of the States, in Maharashtra or Gujarat, they have made this pension admissible to all the Members, whether thejy have completed their term or they could not because the Assembly had been dissolved. Therefore, I say that Mem-

#### 317 Salary, Allowances and [25 FEB, 1981] Members 0/Parliament 318 Pension of

bers Ot the Lok Sabha which was dissolved in 1970 and also Members of the Lok Sabha which was dissolved in 1979 should be given this pension a3 it is not their fault that they could not complete the term. That is number two.

Another point is, when ex-Members come to Delhi, either in the Western Court or in the Vithalbhai Patel House, or in some such area, some accommodation can be earmarked so that they can come and stay there with the same privileges as the Members have. (Time bell rings) Then the ex-Members of the Constituent Assembly have no scope to enter the Inner Lobby of the Rajya Sabha. I think this should be extended. (Time-bell rings) So the protocol should be extended to the ex-Members also.

(Amdt) Bill 1980

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think the Minister has already replied to all the points. There is no need for him to reply now.

The question is:

'That the Bill, as amended, be passed.'

The motion was adopted.

श्री उरसमापति : सदन की कार्यवाही कल सर्वेरे 11 बजे तक के लिए स्थागित की जाती है।

> The House then adjourned at twenty-eight oabratog past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 26th February, 1981.